[2021] 4 एस. सी. आर 1198

भारत संघ और ए. एन. आर.

वी.

एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)

एलआरएस के माध्यम से। और ओआरएस।

(2013 की सिविल अपील सं. 2049)

27 अगस्त, 2021

[संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982

एसएस। 2 (घ) और 8-सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 - धारा 2-पंजीकरण अधिनियम, 1908। 17 - प्रत्यर्थियों-आवेदकों का मामला कि उनके पिता ने एक 'एसए' से 2 एकड़ 27 गुंटा भूमि खरीदी थी और उन्हें कब्जे में ले लिया गया था-आवेदकों के पिता द्वारा खरीदी गई कुल भूमि में से कुछ को सड़कों के निर्माण के लिए ले लिया गया था-यह भी कहा गया था कि उनके पिता ने 4971.5 वर्ग मीटर की भूमि बेच दी थी। यार्ड, हालांकि, शेष 7128.5 वर्ग। यार्ड उनके द्वारा बनाए रखा गया था सैन्य अनुबंध समिति ने अपने पिता द्वारा बेची गई भूमि (माप 4971.5 वर्ग गज) पर शेड का निर्माण शुरू कर दिया-उक्त भूमि के खरीदार (माप 4971.5 वर्ग गज) ने भारत संघ के खिलाफ मुकदमा दायर किया और उत्तरदाताओं को भी पक्षकार बना दिया गया। अधिनियम की धारा 8 में आरोप लगाया गया है कि भूमि का माप 7128.5 वर्ग कि. मी. है। यार्ड को भारत संघ द्वारा हड़प लिया गया था और खरीदारों के पक्ष में दिए गए पहले मुकदमे पर भरोसा किया गया था-न्यायाधिकरण ने माना कि पहले मुकदमे में निष्कर्ष भारत संघ को बाध्य करते हैं और आवेदनों की अनुमति दी गई थी-उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि की-प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्टः (i) क्या वादी द्वारा दायर पहले मुकदमे में पारित आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य करता है? ; ((ख) क्या अपीलकर्ताओं ने विचाराधीन भूमि पर अपना अधिकार साबित कर दिया है? ; ((ग) क्या अपीलार्थी अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत भूमि हड़पने वाला है - हालांकि पहला मुकदमा एक ही पक्ष के बीच है, लेकिन विषय वस्तु एक ही नहीं है-क्योंकि मुकदमे में मुद्दा 4971.5 वर्ग तक सीमित था। जहां तक, डिक्री केवल उस हद तक बाध्यकारी होगी-इस मुद्दे को इसके द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है स्पष्टीकरण IV के अनुसार रचनात्मक न्यायनिर्णायक विवरण जैसा कि यह बाद के वाद में वादी पर लागू होता है-अपीलकर्ताओं ने पहले वाद में वादी के दावे को इस हद तक अस्वीकार कर दिया है कि यह भारत संघ v की विषय वस्तु 1198 थी।

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)।

इसलिए, पहले मुकदमे में डिक्री बाद के मामलों में न्यायिक आदेश के रूप में काम नहीं करेगी-चूंकि विचाराधीन भूमि राज्य से हस्तांतरित की गई थी, इसलिए स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

एस के संदर्भ में पंजीकृत होना आवश्यक है। 17 पंजीकरण अधिनियम, 1908 और/या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के संदर्भ में-दिनांकित 19.03.1958 पत्र हस्तांतरण को पूरा करता है जब 1500 एकड़ और 24 गुंटा की भूमि का कब्जा संघ को सौंप दिया गया था-अपीलकर्ता 1500 एकड़ और 24 गुंटा के कब्जे का दावा करते हैं, हालांकि अपीलकर्ताओं ने 4971.5 वर्ग किमी का दावा खो दिया है। यार्ड जो 2 एकड़ और 20 गुंटा के हिस्से के रूप में गिर रहा है, लेकिन इससे नहीं होगा

2 एकड़ की पूरी भूमि पर अपीलार्थियों का अधिकार खोना

और 20 गुंटा-इसके अलावा, सैन्य भूमि रजिस्टर, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज भी है (साक्षय अधिनियम की धारा 74) के कब्जे को दर्शाता है

भूमि पर अपीलकर्ता-अपीलकर्ता भूमि के स्वामी हैं - इसलिए, अपीलकर्ता भूमि हड़पने वाले नहीं हैं।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. वर्तमान अपीलों में निम्नलिखित प्रश्नों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है: ((i) क्या वादी द्वारा दायर पहले मुकदमे में पारित आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य करता है? ; ((ख) क्या अपीलकर्ताओं ने विचाराधीन भूमि पर अपना अधिकार साबित कर दिया है? ; (iii) क्या अपीलार्थी एक है अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत भूमि हड़पने वाला? [पैरा 24] [1226 सी-डी]

2. आवेदकों ने मुख्य रूप से इस आधार पर अपीलकर्ताओं से कब्जे का दावा किया है कि द्वारा दायर मुकदमे में

14.4.1965 पर वादी, मुकदमे का आधार वादी द्वारा आवेदकों के पिता से भूमि की खरीद थी। तब से के आधार पर वादी मालिक पाए गए हैं

आवेदक के पिता से भूमि की खरीद, इसलिए, उक्त मुकदमे में तय किए गए स्वामित्व का मुद्दा न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य करेगा।

इसलिए, यहाँ अपीलकर्ता भूमि हड़पने वाले हैं जिनका विचाराधीन भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। यह दोहराया जा सकता है कि वादी ने 4971.5 वर्ग मीटर की भूमि खरीदी थी। आवेदक के पिता से गज की दूरी पर जबकि शेष भूमि का माप 7128.5 वर्ग मीटर है। यार्ड को आवेदकों द्वारा बनाए रखा गया था। इसलिए, पहले मुकदमे में डिक्री केवल अनुसूची संपत्ति के संबंध में थी।

पहले सूट में अर्थात 4971.5 वर्ग। यार्ड्स। पट्टा, आवेदकों के शीर्षक का आधार, [2021] 4 एस. सी. आर. के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

न्यायाधिकरण। इस प्रकार, शीर्षक का मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। [पैरा 25] [1226-ई-जी]

3. पहले मुकदमे में, आवेदकों के पिता ने भूमि पर अधिकार या अधिकार का दावा करने के लिए कोई जवाबी दावा दायर नहीं किया था।

सवाल करते हैं। 4971.5 वर्ग मीटर की भूमि। यार्ड एक अनुसूची संपत्ति थी और पहले सूट का विषय था। मुद्दा नं. 1

पहले वाद में वाद से पहले 12 वर्षों के भीतर 'वाद भूमि' पर वादी और उनके पूर्ववर्ती के कब्जे के संबंध में था। इसलिए, वादी के अधिकारों की जांच ऐसे वाद भूमि के संबंध में की गई थी जिसका माप 4971.5 वर्ग मीटर था। हालाँकि, कब्जे और स्वामित्व पर निष्कर्ष को वापस करने के लिए, वादी द्वारा खरीदी गई भूमि पर आवेदकों के पिता के कब्जे को 'एसए' को दिए गए पट्टा के आधार पर एक साथ जोड़ा गया था, हालांकि इसे प्रस्तुत या साबित नहीं किया गया था। [पैरा 26] [1227-ए-सी]

4. आवेदकों द्वारा दायर दूसरे मुकदमे में, मुकदमे का पूरा आधार पहले मुकदमे में वापस किए गए निष्कर्ष थे। वहाँ कोई नहीं है

'एसए' द्वारा भूमि की खरीद के संबंध में प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षय और उसे जारी किए गए पट्टा की वैधता या वैधता। हालाँकि, आवेदकों ने दावा किया है कि वे भूमि का दौरा कर रहे हैं

उनके कब्जे को सत्यापित करने के लिए प्रश्न, लेकिन इस तरह की याचिका के अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वादी की ओर से विचाराधीन भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई गुप्त और स्पष्ट कार्य किया गया था। [पैरा 27] [1227-सी-डी]

5. वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने एक समझौता किया था

वादी जिनके द्वारा कब्जे में कुछ भूमि डिक्री धारक को 19.8.1995 पर न्यायालय की अनुमति के साथ निष्पादन में दी गई थी। इस तरह की कार्रवाई अपीलार्थियों द्वारा अधिकार के दावे को दर्शाएगी ताकि डिक्री की संतुष्टि में भूमि का आदान-प्रदान किया जा सके। आवेदकों के पिता निष्पादन कार्यवाही में पक्षकार थे लेकिन उन्होंने विनिमय पर आपत्ति नहीं जताई है। यह अनिवार्य रूप से एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि आवेदकों के पिता के पास अधिकार नहीं था और उन्होंने 7128.5 वर्ग मीटर मापने वाली शेष भूमि पर अधिकार या अधिकार का दावा नहीं किया है। यार्ड्स। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे वर्ष 1958 में हस्तांतरण की तारीख से भूमि का कब्जा जब हैदराबाद के कलेक्टर ने भारत संघ को कब्जा सौंप दिया।

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)।

आवेदकों ने उस भूमि पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया है, जिसके बारे में उनके कब्जे में होने का दावा किया जाता है। पहला सूट केवल 4971.5 वर्ग था। यार्ड्स। इसलिए, उक्त वाद में डिक्री केवल वाद में भूमि के लिए बाध्यकारी है। [पैरा 36] [1233-एफ-जी]

6. हालांकि पहला मुकदमा एक ही पक्ष के बीच है, लेकिन विषय वस्तु समान नहीं है। आर. एस. जुडिकाटा के लागू होने के लिए, पूर्व मुकदमे के मामले में एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया होगा।

और स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे द्वारा अस्वीकार या स्वीकार किया गया। चूंकि मुकदमे में मुद्दा 4971.5 वर्ग तक सीमित था। यार्ड्स, डिक्री केवल उस हद तक बाध्यकारी होगी। इस मुद्दे को रचनात्मक न्यायपालिका द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है।

स्पष्टीकरण IV जैसा कि यह बाद के वाद में वादी पर लागू होता है। अपीलकर्ताओं ने पहले मुकदमे में वादी के दावे को इस हद तक अस्वीकार कर दिया है कि यह केवल उस मुकदमे का विषय था। इसलिए, पहले मुकदमे में डिक्री बाद के मामलों में न्यायिक आदेश के रूप में काम नहीं करेगी। [पैरा 37] [1233-जी-एच; 1234 ए-बी]

7. अब, दूसरे प्रश्न की जांच की जाती है कि क्या अपीलकर्ताओं ने विचाराधीन भूमि पर अपना अधिकार साबित कर दिया है।

अपीलार्थी विचाराधीन भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हैं। चूंकि भूमि राज्य से हस्तांतरित की जाती है, इसलिए स्वामित्व के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 और/या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के संदर्भ में पंजीकृत होना। आसफनगर लाइनों का क्षेत्रफल 378 एकड़ 16 गुंटा है। दिनांकित 10.10.1956 पत्र के परिशिष्ट में, 378 एकड़ 16 गुंटा के क्षेत्र में शामिल भूमि का विवरण दिया गया है, जिसमें 2 एकड़ 20 गुंटा लघु राइफल रेंज शामिल है। ऐसी भूमि मल्लापल्ली क्षेत्र में परिलक्षित होती है। मल्लापल्ली क्षेत्र और आसफनगर लाइनों का कुल क्षेत्रफल 378 एकड़ और 16 गुंटा है। मल्लापल्ली लाइन्स गैर-आई. एस. एफ. लाइन्स है जिसका क्षेत्रफल 450 एकड़ और 12 गुंटा है।

यह 378 एकड़ और 16 गुंटा के आईएसएफ क्षेत्र में आने वाली आसफनगर लाइनों से अलग है। इस प्रकार, मल्लापल्ली क्षेत्र और मल्लापल्ली रेखाएँ भूमि के दो अलग-अलग भाग हैं। यहाँ विचाराधीन भूमि आसफनगर लाइन्स का हिस्सा है जो अपीलार्थियों को आई. एस. एफ. [2021] 4 एस. सी. आर. के रूप में सौंपी गई है।

लाइनें। दिनांकित 19.3.1958 पत्र हस्तांतरण को पूरा करता है जब 1500 एकड़ और 24 गुंटा की भूमि का कब्जा संघ को सौंप दिया गया था। [पैरा 41] [1235-डी-जी] अपीलकर्ताओं का दावा है कि वर्ष 1958 से 1500 एकड़ और 24 गुंटा की भूमि पर उनका कब्जा है। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने 4971.5 वर्ग मीटर भूमि के संबंध में दावा खो दिया है। यार्ड जो 2 एकड़ और 20 गुंटा भूमि के हिस्से के रूप में आता है, लेकिन इससे 2 एकड़ और 20 गुंटा की पूरी भूमि पर अपीलार्थियों का अधिकार नहीं जाएगा। [पैरा 42] [1235

एच; 1236-ए]

8. इसलिए, सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के प्रावधानों के आधार पर पंजीकरण की धारा 17 (2) (vii) के साथ पढ़ा जाता है।

9. इस तथ्य के अलावा कि संघ के पक्ष में अधिकार का हस्तांतरण तब पूरा होता है जब कब्जा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी, अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत सैन्य भूमि रजिस्टर और सामान्य भूमि रजिस्टर ऐसी भूमि पर अपीलार्थियों के कब्जे को दर्शाते हैं। सैन्य भूमि रजिस्टर और सामान्य भूमि रजिस्टर भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (साक्षय अधिनियम) की धारा 74 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक दस्तावेज हैं जिनमें संप्रभु प्राधिकरण यानी संघ के साथ-साथ आधिकारिक निकाय के कार्यों के रिकॉर्ड शामिल हैं। इसके अलावा, साक्षय अधिनियम की धारा 114 यह अनुमान लगाती है कि शुद्धता एक आधिकारिक कार्य है जिसे नियमित रूप से किया गया है। इसलिए, यह दिखाने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में कि ऐसे रिकॉर्ड ठीक से बनाए नहीं रखे गए थे, स्वामित्व और कब्जे की प्रविष्टियों वाले आधिकारिक रिकॉर्ड में शुद्धता का अनुमान होगा। 10.10.1956 पर भूमि के हस्तांतरण के बाद भारत संघ v.

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)।

19.3.1958 और उसके कब्जे का निरंतर दावा, यह इस स्पष्ट निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अपीलार्थी मुकदमे की भूमि के मालिक हैं और उनके कब्जे में हैं। [पैरा 44] [1236-सी-एफ]

10. तीसरा प्रश्न यह जांचने के लिए है कि क्या अपीलार्थी

भूमि हड़पने वाले हैं और न्यायाधिकरण के पास अधिनियम के तहत एक याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। अपीलार्थियों की यह आपत्ति कि वे भूमि हड़पने वाले नहीं हैं और संघ की संपत्ति पर राज्य विधानमंडल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, की आवश्यकता नहीं है।

इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए जांच की गई कि अपीलार्थी वास्तव में विचाराधीन भूमि के मालिक हैं। [पैरा 45] [1236-एफ-जी]

एल. आर. द्वारा के. एथिराजन (मृत)। वी. लक्ष्मी और ओआरएस। (2003) 10 एस. सी. सी. 578 [2003] 4 पूरक। एससीआर 33-आयोजित

अप्रयोज्य।

अलका गुप्ता बनाम। नरेंद्र कुमार गुप्ता (2010) 10 एस. सी. सी.

141 [2010] 11 एस. सी. आर. 756; दरियाव और अन्य। वी. की स्थिति

यू. पी. और अन्य। ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1457 [1962] एस. सी. आर. 574; कर्नाटक राज्य और अन्र। वी. अखिल भारतीय निर्माता

संगठन और अन्य। (2006) 4 एससीसी 683: [2006] 1

(2005) 13 एस. सी. सी. 1; महबूब साहब बनाम सैयद इस्माइल और अन्य (1995) 3 एस. सी. सी. 693: [1995] 2 एससीआर 975;

एल. आर. और ओ. आर. द्वारा गोविंदम्मल (मृत)। वी. वैद्यनाथन & ओआरएस। (2019) 17 एससीसी 433: [2019] 17 एससीसी 433 -

पर भरोसा किया। मुन्नी बीबी (मृतक के बाद से) और अन्र। वी. तिरलोकी नाथ और

ओआरएस। ए. आई. आर. 1931 पी. सी. 114-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2003] 4 पूरक। एससीआर 33

पैरा

23

अप्रयोज्य रखा गया

[2010] 11 एससीआर 756

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

[1962] एससीआर 574

उस पर भरोसा करें

पैरा

31

[2006] 1 पूरक। एससीआर 86

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

[1995] 2 एससीआर 975

उस पर भरोसा करें

पैरा

34

(2019) 17 एस. सी. सी. 433

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2049

2013 से।

हैदराबाद में उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के निर्णय और आदेश दिनांक 25.04.2011 से रिट याचिका संख्या 26811 में

2008 से।

के साथ

2012 की सिविल अपील सं. 13।

विनय नवारे, बी. आदि नारायण राव, आर. बालासुब्रमण्यम,

श्री एड. , डी. भरत कुमार, ताडीमल्ला भास्कर गौतम, अमन शुक्ला, हाथींद्र मंडा, दसारी मुरली मोहन, अभिजीत सेनगुप्ता, प्रमोद दयाल, सुश्री प्रेरणा सिंह, के. सुब्बा राव, के. सत्यनारायण मूर्ति, अनिरुद्ध पी. मयी, चंद्र प्रकाश, अक्षय अमृतांशु, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपीलें आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय द्वारा 25.4.2011 पर पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं जिसके तहत

नं. 403/1), वार्ड नं. 8, ब्लॉक-3, शेखपेट गाँव, हैदराबाद, भारत संघ द्वारा हड़पी गई भूमि है। यह अनुरोध किया गया था कि अधिनियम की धारा 8 (6) के तहत एक अधिसूचना की आवश्यकता है, जिसे आंध्र प्रदेश के असाधारण राजपत्र में 22.1.2004 पर प्रकाशित किया गया था, लेकिन कोई आपत्ति नहीं है। उसी के खिलाफ प्राप्त किया गया था। आवेदकों ने आरोप लगाया कि उनके पिता ने सर्वेक्षण संख्या 299/2 में श्री शेख अहमद से दिनांक 12.12.1959 (Exhs) के दो पंजीकृत बिक्री विलेखों के तहत 2 एकड़ 27 गुंटा जमीन खरीदी थी। अल और ए 2)। खरीदार, यानी, आवेदकों के पिता को इसके कब्जे में रखा गया था। पिता द्वारा खरीदी गई कुल भूमि में से

1 संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण'

2 संक्षेप में, 'अधिनियम' 3 को इसके बाद 'आवेदक' भारत संघ के रूप में संदर्भित किया गया है।

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

आवेदकों में से 7 गुंटा भूमि इस उद्देश्य के लिए ली गई थी कि

सड़क का चौड़ीकरण और शेष भाग यानी 2 एकड़ 20 गुंटा (1,1200 वर्ग गज) उनके पास था। आवेदकों द्वारा आगे यह आरोप लगाया गया कि उनके पिता ने 4971.5 वर्ग मीटर की जमीन बेच दी। 1100 वर्ग कि. मी. में से यार्ड। दिनांकित 20.3.1964 (Ex.A3) पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से विशिष्ट सीमाओं के साथ सर्वेक्षण संख्या 299/2 में यार्ड। भूमि का शेष भाग अर्थात 7128.5 वर्ग कि. मी.। हालांकि यार्ड को उनके पिता ने बरकरार रखा था।

3. यह आरोप लगाया गया था कि सैन्य अनुबंध समिति ने आवेदकों के पिता द्वारा बेची गई भूमि पर शेड का निर्माण शुरू कर दिया था। नतीजतन, खरीदारों ने भारत संघ, आंध्र प्रदेश राज्य और आवेदकों के पिता के खिलाफ मूल मुकदमा दायर किया, जिसे बाद में 1970 के मुकदमा ओएस नंबर 175 (1965 का पुराना नंबर 72) के रूप में सौंपा गया था। वादी ने दावा किया कि उसके विक्रेता शेख अहमद और फिर आवेदकों के पिता मालिक थे।

20.3.1964 पर संपत्ति की खरीद के बाद से, लेकिन पहले प्रतिवादी, यहाँ अपीलार्थी के ठेकेदारों ने 12.7.1964 पर अनुसूची संपत्ति में अतिक्रमण किया। इस प्रकार वादी ने खरीदी गई भूमि का कब्जा या वैकल्पिक रूप से, आवेदकों के पिता को भुगतान की गई बिक्री के प्रतिफल की वसूली की मांग की। अन्य बातों के साथ-साथ यह निम्नानुसार अनुरोध किया गया था:

" 4. इन परिस्थितियों में, श्री शेख अहमद ने उक्त संपत्ति के पूरे Ac.2-27 गुंटे को श्री एस. वी. श्रीनिवासुलु नायडू, आई. पी. एस., पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा (सी. आई. डी.) को बेच दिया।

हैदराबाद, तीसरा प्रतिवादी दिनांकित दो बिक्री विलेखों के माध्यम से यहाँ 12-12-1959 और बाद वाले को उसी के कब्जे में डाल दिया। उसी के कब्जे और आनंद में रहते हुए, और उस पर करों का भुगतान करते हुए, उक्त श्री एस. वी. श्रीनिवासुलु नायडू (इसमें तीसरा प्रतिवादी) ने उक्त S.No.299/में से 4971 1⁄2 वर्ग गज की जगह बेच दी।

2 , शेखपेट गाँव का अधिक पूरी तरह से नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है और यहाँ बाद में वादी को अनुसूची संपत्ति कहा गया है

इसमें रुपये के विचार के लिए दिनांकित 20-3-1964 बिक्री विलेख के माध्यम से। 28,000 / - . बिक्री की तारीख के बाद से, वादी निर्विवाद रूप से अनुसूचित संपत्ति के कब्जे और आनंद में रहे हैं। इस प्रकार वादी अनुसूची संपत्ति के पूर्ण मालिक हैं जो पूर्ण अधिकारों के साथ उसी का आनंद ले रहे हैं।

4. अनुसूची संपत्ति द्वारा खरीदी गई संपत्ति थी

वादी। आवेदकों के पिता द्वारा दायर लिखित बयान में, यह कहा गया था कि उक्त प्रतिवादी का पूर्ण अधिकार और कानूनी अधिकार था

4 इसके बाद 'पहला सूट' [2021] 4 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित किया गया।

भूमि जब उसने वादी के पक्ष में बिक्री की। कथित प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि उसे वादी के मुकदमे के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है। यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त प्रतिवादी ने वादी को भूमि बेचने के बाद शेष भूमि के कब्जे का कोई जवाबी दावा दायर नहीं किया था। पक्षकारों पर निम्नलिखित मुद्दों पर मुकदमा चला:

" 1. क्या वादी और उनके पूर्ववर्ती के पास वाद से पहले 12 वर्षों के भीतर वाद भूमि पर अधिकार और कब्जा था?
2. क्या सूट की जमीन पूर्व-हैदराबाद राज्य सेना की थी

और क्या बाद में इसे प्रतिवादी संख्या 1 को सौंप दिया गया था

1958 में?

3. क्या पट्टा और वादी द्वारा भरोसा किया गया समझौता रद्द कर दिया गया था और यदि ऐसा है, तो क्या रद्द करना कानूनी है और वैध?

4. क्या वाद भूमि की नीलामी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई थी

चराई और घास काटना?

5. यदि कोई नुकसान हो, तो क्या वादी वैकल्पिक रूप से तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ हकदार हैं?

6. वादी किस राहत के हकदार हैं?

5. लर्नड ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा संख्या 1 का फैसला किया, जिसके तहत निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए: -

" 19. अभिलेख पर सामग्री से उपलब्ध साक्षय का एक अन्य टुकड़ा Ex.B.22 है। यह तहसीलदार (पश्चिम) की ओर से नगर पालिका के आयुक्त को लिखा गया एक पत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि No.299/2 शेख अहमद की पट्टा भूमि है और उल्लिखित अब्दुल गनी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। तीसरा भूमि अभिलेख अधिकारी बी. 21 का आदेश है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि S.No.129/(एल. डी.) और 403 (नए) माप (7) एकड़ जमीन दी गई थी।

शेख अहमद के पट्टा के रूप में यह सामग्री इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि 1339 से सूट भूमि पर शेख अहमद का कब्जा है।

फसली "।

20. विचार करने के लिए अगला बिंदु यह है कि क्या शेख अहमद ने मुकदमे की जमीन तीसरे प्रतिवादी को बेच दी। बिक्री के दो समझौते बी. 2 और बी. 3 और बाद के दो पंजीकृत बिक्री विलेख बी. 1 और बी. 5 से यह पूरी तरह से प्रकट होता है। इस मामले में बी. 7 ने गवाह एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया बनाम.

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

बॉक्स। बताया जाता है कि शेख अहमद की मृत्यु कुछ साल पहले हुई थी। डी. डब्ल्यू.-2

इस मामले की गवाही दी है। डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में तीसरे प्रतिवादी ने कहा कि वह 1959 में जमीन खरीदी और कुछ ही समय बाद हीरलाल ने एक याचिका दायर की।

मुकदमा भूमि का दावा करने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा। वह मुक़दमा अंततः समाप्त हो गया

एक समझौते में। Ex.B.26 और B. 27 दो रसीदें हैं -

धन की प्राप्ति की स्वीकृति में हीरालाल और

मामले से समझौता करने के बारे में।

21. Ex.B.28 यह दिखाने के लिए कि चिंतल बस्ती संस्कार समिति

सदस्य ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि सूट भूमि का एक हिस्सा था

श्रेणी भूमि और इसलिए, तीसरा प्रतिवादी कब्जा नहीं कर सकता है

उक्त को कुछ भूमि के साथ-साथ कुछ नकद राशि देना। समिति के सदस्यों ने उस मामले को समाप्त कर दिया। डी. 3 के अनुसार वह

अपने प्रस्तावित घर के निर्माण के लिए समय नहीं मिला क्योंकि

उपर्युक्त विवाद। इस बीच वादियों ने संपर्क किया

उसे और उसने सूट की जमीन उन्हें बेच दी। द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख

यानी चार महीने के भीतर कथित अतिक्रमण किया गया था।

इस संक्षिप्त अवधि में वादी से कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। खरीदारों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करने में। इन तथ्यों को जोड़ा गया

ऊपर बताए गए दस्तावेजों के साथ, निष्कर्ष निकालने के लिए काफी हैं

कि वादी और उनके पूर्ववर्तियों को शीर्षक और निस्संदेह

बारह वर्ष के भीतर सूट भूमि पर उनके कब्जे से

कथित अतिक्रमण के लिए। दूसरे शब्दों में, वादी ने

सफलतापूर्वक, अंक संख्या 1 के तहत उन पर रखी गई जिम्मेदारी का निर्वहन किया, इसलिए इस मुद्दे को सकारात्मक रूप में देखें।

(जोर दिया गया)

..... इस प्रकार वहाँ किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाता है

27 .....

यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि सूट पूर्व हैदराबाद का था

राज्य सेना और जिसे बाद में सौंप दिया गया था

नकारात्मक में "। 6. इस प्रकार वादी को घोषित करते हुए 13.8.1970 पर मुकदमा चलाया गया था।

ई-वाद संपत्ति के धारक। संघ द्वारा एक अपील दायर की गई थी

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष लेकिन उक्त अपील थी

31.3.1975 पर ssed करें। इसके बाद, मुकदमे में वादी ने निष्पादन दायर किया

जिस पर आवेदकों ने भाग नहीं लेने का फैसला किया था। पिता ई आवेदकों की मृत्यु 17.6.1993 पर हुई। इसके बाद, आवेदकों ने आवेदन किया

न्यायाधिकरण की अधिकारिता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. आवेदकों ने न्यायाधिकरण के समक्ष दावा किया कि वे मूल हैं

विचाराधीन भूमि के मालिकों और सरकार का संपत्ति पर कोई अधिकार या अधिकार नहीं था। वादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर भरोसा करते हुए, आवेदकों ने इस प्रकार दावा किया:

कथित मुकदमा जैसा कि विवादित है और माननीय चौथा

एडल्ट। न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद ने मुद्दों का फैसला किया था।

अधिकार और अधिकार के साथ-साथ अन्य मुद्दों का निर्णय और डिक्री दिनांकित 13.08.1970। यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय चतुर्थ

अतिरिक्त न्यायाधीश ने कहा था कि हमारे पिता मालिक हैं और घर में थे। बारह वर्ष से अधिक समय से संपत्ति का कब्जा।

99

8. इसमें अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ एक लिखित बयान दायर किया, जिसमें निवेदन किया गया था

कि अनुसूचित भूमि एक रक्षा भूमि है और अपीलार्थी भूमि हड़पने वाला नहीं है। यह भी कहा गया कि न्यायाधिकरण अपीलार्थी का अधिकार तय करने में सक्षम नहीं था क्योंकि यह रक्षा भूमि थी। इसके अलावा, यह कहा गया कि 2 एकड़ 20 गुंटा की भूमि आवेदकों के कब्जे में थी जब से इसे कलेक्टर, हैदराबाद द्वारा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया था। लिखित कथन में अपीलार्थी का रुख अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:

" 7 .....

अतः, का वक्तव्य

आवेदक कि जब से भूमि में निर्माण शुरू किया गया था

बाद के खरीदारों से संबंधित, उन्होंने मुकदमा दायर किया है

यह बिल्कुल हास्यास्पद प्रतीत होता है क्योंकि इसकी पूरी सीमा

2 एकड़ 20 गुंटा जमीन कब्जे में थी। बचाव पक्ष और आवेदक ने वाद अनुसूची एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया बनाम का दावा नहीं किया था।

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

16.01.1996 से पहले किसी भी समय भूमि। इसलिए यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि आवेदक द्वारा दावा करने से 30 साल से अधिक समय पहले वाद अनुसूची भूमि बचाव पक्ष के कब्जे में थी। आवेदक का यह तर्क कि चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद ने माना कि उसके पिता मालिक हैं और 12 साल से अधिक समय से संपत्ति के कब्जे में थे, गलत है। अंक संख्या 6 में माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि "विक्रेता", तीसरे प्रतिवादी ने मौखिक के साथ-साथ दस्तावेजी साक्षय पेश करके संतोषजनक रूप से साबित किया है कि उनके साथ-साथ उनके पूर्ववर्तियों शेख अहमद के पास मुकदमे की भूमि यानी केवल 4971 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा था। जबकि आवेदक भूमि की शेष सीमा का दावा कर रहा है। यार्ड्स।

मामले को निपटाने के लिए, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने तार संख्या 31/27/की डाक प्रति देखी। एल/एल एंड सी/64 दिनांक 11.08.1995 के आदान-प्रदान के लिए मंजूरी दी गई

पेंशन पेमास्टर के कार्यालय के भीतर डिक्रिटल भूमि के साथ रक्षा भूमि। तदनुसार डिक्री धारकों के वकील ने 19.08.1995 पर उक्त विनिमय प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। स्वीकृति की प्राप्ति पर, 4971.5 वर्ग मीटर नापने वाली भूमि को चिह्नित करने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। यार्ड्स। तदनुसार एक योजना

ओ. एस. नं. 175/1970 में निचली अदालत द्वारा पहले से ही तय की गई रक्षा भूमि की कुल सीमा को दर्शाते हुए। तदनुसार भूमि का एक विस्तार जो 4971.5 वर्ग कि. मी. से अधिक है। अधिवक्ता आयुक्त की दिनांक 14.12.1995 की कार्यवाही द्वारा डिक्री धारकों को सौंप दिया गया और अवमानना मामला संख्या 411/1995 को अंततः 15.12.1995 पर बंद कर दिया गया, क्योंकि समझौता ज्ञापन के अनुसार भूमि पक्षों को सौंप दी गई थी।

XXXX

XXXX

10 .....

उपरोक्त भूमि के अधीन है

पिछले कई वर्षों से भारत संघ का अधिकार जो 30 वर्षों से अधिक है। श्री एस. वी. श्रीनिवासुलु नायडू ने उस संपत्ति पर दावा करने के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जो पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से भारत संघ के कब्जे में है। उक्त एस. वी. श्रीनिवासुलु नायडू केवल थे

उपरोक्त वाद और अपील में प्रतिवादी संख्या 3 और इस प्रकार उक्त मामलों में पारित डिक्री के आधार पर श्री एस. वी. नरसिम्हुलु नायडू के पक्ष में किसी भी भूमि पर दावा करने का अधिकार नहीं है जो [2021] 4 एस. सी. आर. है।

निम्नलिखित आधारों के आधार पर भारत संघ के कब्जे के अधीनः

XXXX

XXXX

13. याचिका के असंख्या पैरा 14 से 16 के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस पैरा में आवेदक का तर्क यह है कि वे अनुसूची की भूमि के मालिक हैं, जिससे इनकार किया जाता है। गोलकोंडा मंडल हैदराबाद के शेखपेट गाँव में स्थित 2 एकड़ 20 गुंटा की भूमि, जो निजाम बलों की संपत्ति थी और जिसका उपयोग "लघु राइफल रेंज" के रूप में किया जाता था, कलेक्टर द्वारा दिनांकित बोर्ड की कार्यवाही के माध्यम से भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई थी और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 295 (i) के तहत भारत सरकार के पास निहित है। एक रक्षा भूमि होने के कारण, विभाग है

जमीन हड़पने वाले को नहीं। रक्षा के लिए संसद का भूमि अधिनियम लागू होता है जबकि भूमि हड़पने का न्यायालय

केवल राज्य की भूमि पर अधिकारिता।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्बाध कब्जे के आधार पर

पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से अनुसूचित संपत्ति पर बचाव का मामला और चूंकि भूमि हड़पने वाले न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल राज्य की भूमि पर है, इसलिए उपरोक्त मामला पहले बनाए रखने योग्य नहीं है। यह माननीय न्यायालय "।

9. विद्वत न्यायाधिकरण ने पक्षों की दलीलों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया:

“ (1) क्या आवेदक आवेदन के मालिक हैं

अनुसूची संपत्ति?

(2) क्या उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित प्रतिद्वंद्वी शीर्षक सही, वैध है

और आवेदकों पर बाध्यकारी?

(3) क्या उत्तरदाता अर्थ के भीतर भूमि हड़पने वाले हैं

1982 के अधिनियम XII का? (4) क्या उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल रूप से शीर्षक निर्धारित किया है

अधिकार?

(5) किस राहत के लिए? "

10. अपीलकर्ताओं ने कभी भी अपने कब्जे को वास्तविक मालिक के ज्ञान के प्रतिकूल होने के रूप में नहीं कहा था। अपीलार्थी की याचिका यह थी कि वे भारत के पिछले 30 संघ बनाम के लिए मालिकों के रूप में उक्त संपत्ति के कब्जे में हैं।

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

वर्षों से। इसलिए, मुद्दों को सही तरीके से तैयार नहीं किया गया था। तदनुसार, मुद्दा

नं. 1 और 2 को एक साथ तय किया गया था।

11. साक्षय में, आवेदकों ने पीडब्लू 1-एस. जनार्दन की जांच की

पट्टा और न ही ऐसा पट्टा तैयार किया गया था या रिकॉर्ड पर साबित किया गया था। वास्तव में, पूरा दावा पहले मुकदमे के फैसले पर आधारित है, जो है -

पीडब्लू 1 के बयान से स्पष्ट है, जब उन्होंने कहा कि "ए डिवीजन

अभिनिर्धारित किया कि एक बार माननीय न्यायालय ने पहले में अधिकार और अधिकार को बरकरार रखा था कार्यवाही, यह किसी भी अधिकारी के लिए इनकार करने के लिए खुला नहीं है

समान रूप से असमर्थनीय सुख लेना। एक बार जब शीर्षक का स्रोत सामान्य हो जाता है, तो कोई भी

बाद की कार्यवाही में एक अलग याचिका लेने वाले पक्ष को विपक्ष द्वारा वर्जित किया जाता है।

न्यायपालिका "।

12. न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निष्कर्ष वापस किए:

" 52. श्रीनिवासुलु नायडू ने Exs.A-1 और A के तहत जमीन खरीदी।

2 1959 में। उस सूट में एक निष्कर्ष है कि 12 साल

मुकदमा दायर करने से पहले शेख अहमद और श्रीनिवासुलु नायडू

जमीन पर कब्जा था। तो भूमि में है

1949-50 के बाद से उनका निरंतर अधिकार। एसीएस की डिलीवरी। 2. 27

राज्य सरकार द्वारा रक्षा के लिए भूमि का गुंटा केवल एक है

Ex.B14 कार्यवाही के अनुसार पेपर डिलीवरी। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है एसीएस की भूमि का वास्तविक वितरण। 2.27 गुंटा नहीं बनाया गया था और

यह केवल एक पेपर डिलीवरी है। अकेले इस भूमि पर आरोप नहीं लगाया गया था

Acs.1500-24 विभिन्न क्षेत्रों में चार अलग-अलग भूखंडों में भूमि के गुंटे राज्य सरकार द्वारा संघ को देने का आदेश दिया गया था

भारत से। भारत संघ के अनुसार, एसीएस। 2. 27 गुंटा एक हिस्सा है असफनगर पंक्तियों को आइटम नंबर के रूप में दिखाया गया है। एक्स. बी. में वी-14 पर

पृष्ठ संख्या 2।

XX

XX

XX

57. प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता का तर्क है कि जब भारत संघ ने दावा किया कि यह तब से कब्जे में है

1958 सूट ओएस 175/70 में, शेष भूमि का मालिकाना हक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में तय किया जाना है।

एस सी आर।

कहीं और। यह आगे तर्क दिया जाता है कि Exs। अल और ए 2 बिक्री विलेख वैध हैं और मालिकाना हक आवेदकों को दिया जाता है, लेकिन यह दिखाने के लिए कि शेख अहमद के पास शेष भूमि का मालिकाना हक था या नहीं, आवेदकों द्वारा मुकदमा दायर नहीं किया जाता है। इसलिए, आवेदकों ने अपने अधिकार को माफ कर दिया और उनके दावे पर समय की पाबंदी है। जब कोई निष्कर्ष दिया जाता है

यह मामला कि जिस राज्य सरकार ने भारत संघ को भूमि दी थी, उसका कोई अधिकार नहीं है और श्रीनिवासुलु नायडू और उनके विक्रेता का अधिकार था, श्रीनिवासुलु नायडू को अपने अधिकार की घोषणा के लिए दूसरा मुकदमा दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

XX

XX

XX

59. यदि वह भूमि जो आर-1 को और निष्पादन कार्यवाही में अन्य डिक्री धारकों को दी गई थी, वाद के बदले में

श्रीनिवासुलु नायडू के स्वामित्व वाली अनुसूचित भूमि, विनिमय स्वयं अवैध है। भारत संघ द्वारा शेष भूमि पर अधिकार स्थापित किए बिना भारत संघ ने आवेदन अनुसूची भूमि के आदान-प्रदान के लिए समझौता किया है। डिक्री धारकों और निर्णय देनदारों के बीच केवल डिक्री अनुसूची भूमि के संबंध में समझौता किया जा सकता है, लेकिन यह किसी अन्य भूमि के संबंध में नहीं होना चाहिए जो डिक्री के दायरे में नहीं आती है। निर्णय देनदारियों द्वारा न्यायिक अनुसूची संपत्ति को बनाए रखने के लिए, कुछ अन्य भूमि जो मुकदमे का विषय नहीं है, डिक्री धारकों को दी गई थी। भारत संघ को पता था कि यह भूमि जो बदले में डिक्री धारकों को दिए जाने का उल्लेख इस रूप में किया गया था कि न्यायिक अनुसूची संपत्ति की सीमा श्रीनिवासुलु नायडू की थी। श्रीनिवासुलु नायडू सूट की पार्टी में थे। भले ही श्रीनिवासुलु नायडू के खिलाफ उक्त मुकदमे में कोई राहत नहीं दी गई है।

कम से कम श्रीनिवासुलु नायडू को नोटिस दिया जाना चाहिए या श्रीनिवासुलु नायडू को समझौते में पक्ष बनाया जाना चाहिए।

जब उसने उस भूमि पर अधिकार और अधिकार का दावा किया जो बदले में डिक्री धारकों को दी गई थी।

XX

XX

XX

90. हाथ में मामले में आवेदन अनुसूची भूमि का अधिकार पहले के मुकदमे में जारी नहीं है। यह मुद्दा वाद अनुसूची भूमि के स्वामित्व के संबंध में था जिसे वादी द्वारा खरीदा गया था। श्रीनिवासुलु नायडू से। Exs.A1 और A2 वे बिक्री विलेख हैं जिन पर वादी ने 4971 वर्ग किलोमीटर के लिए अपना अधिकार स्थापित करने के लिए भरोसा किया था। याई्स। शेष भूमि के लिए कोई समस्या नहीं थी। भारत के निओन श्रीनिवासुलु की शेष भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

नायडू। श्रीनिवासुलु नायडू की शेष भूमि को श्रीनिवासुलु नायडू से वादी द्वारा खरीदी गई सूट भूमि के तीन तरफ सीमा के रूप में दिखाया गया है। मुकदमे में एक निष्कर्ष दिया गया है कि श्रीनिवासुलु नायडू द्वारा Ex.A1 और A2 के तहत खरीदी गई भूमि शेख अहमद की पट्टा भूमि है। 4971 वर्ग कि. मी. में वादियों का हक तय करना। Exs.A1 और A2 द्वारा कवर किए गए श्रीनिवासुलु नायडू के यार्ड खिताब पर भी विचार किया गया था। इसलिए, ओएस 175/70 और इस भूमि हड़पने के मामले में स्वामित्व की पहचान है। इसलिए, सूट में खोज बाध्य करती है उत्तरदाताओं।

91. मुकदमे के निष्कर्ष भारत संघ को बाध्य करते हैं क्योंकि दोनों मुकदमों में शीर्षक एक ही है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील को प्राथमिकता नहीं दी और ओएस 175/70 में डिक्री। भारत संघ शीर्षक का दावा करता है

राज्य सरकार के माध्यम से। मुकदमे में, एक निष्कर्ष दिया गया है कि भूमि शेख अहमद की पट्टा भूमि है न कि राज्य सरकार की भूमि। इसलिए, वह निष्कर्ष अंतिम हो गया और दोनों सरकारों और अन्य पक्षों को मुकदमे के लिए बाध्य करता है। याचिका

ओ. एस. 175/70 मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ भारत संघ द्वारा प्रस्तुत सी. सी. सी. ए. संख्या-30/1972 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा एक निष्कर्ष दिया गया था कि Exs.B-38 द्वारा चिह्नित भूमि, अर्थात यहाँ Ex.B25 द्वारा आच्छादित भूमि, वाद भूमि से सहसंबद्ध नहीं थी। सूट भूमि यहाँ Exs.A1 और A2 बिक्री विलेखों द्वारा कवर की गई भूमि का हिस्सा है। भारत संघ का तर्क है कि एसीएस की पूरी भूमि। 2. 20 गुंटे Ex.B38 कार्यवाही के अनुसार वितरित किए गए थे। पत्र में डी. 25-4-1960 जिसे तहसीलदार, हैदराबाद द्वारा कलेक्टर हैदराबाद जिले को संबोधित किया गया था, यह उल्लेख किया गया है कि इस कार्यालय में उपलब्ध टंच मानचित्र से पता चलता है कि Sy.No। 299/2 वही स्थान है जहाँ राइफल रेंज आई. एस. एफ. भूमि, मल्लपल्ली के मानचित्र में दिखाई गई है। न तो टंच का नक्शा और न ही आई. एस. एफ. भूमि का नक्शा तैयार किया गया है। इसलिए पत्र अपना सारा महत्व खो देता है। हालाँकि, पत्र से पता चलता है कि नक्शे तैयार करने से पहले शेख अहमद को पट्टा स्वीकृत किया गया था। (जोर दें।

आपूर्ति की गई)

13. उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 17. मूल रूप से, एसीएस की सीमा तक भूमि। Sy.No में 2.27 gts। 299/2 को [2021] 4 एस. सी. आर. के पिता एस. वी. श्रीनिवासुलु नायडू ने खरीदा था।

Exs.A1 और A2 बिक्री विलेखों के तहत आवेदक। एसी के बाद। सड़क चौड़ीकरण से 0.7 ग्राम भूमि प्रभावित हुई, शेष भूमि का विस्तार एसीएस है। 12, 100 वर्ग कि. मी. के बराबर 2.20 ग्राम। यार्ड, जिसमें से 4,971 वर्ग कि. मी. यार्ड को आवेदकों के पिता ने वी. कृष्ण मूर्ति और अन्य लोगों को Ex.A3 के तहत बेच दिया था। अब, विवादित भूमि 7,128.5 वर्ग मीटर है। यार्ड्स। एसीएस की सीमा तक भूमि का कब्जा। 1959 से 1964 तक श्रीनिवासुलु नायडू द्वारा 2.20 ग्राम की स्थापना 1970 के ओ. एस. संख्या 175 में की गई थी, जिसमें 4,971.5 वर्ग कि. मी. की सीमा तक भूमि के संबंध में विवाद था। एसीएस से बाहर यार्ड। 27 वी. कृष्ण मूर्ति और अन्य/भारत संघ के साथ वादी/प्रतिवादी के बीच निर्णय दिनांकित निर्णय और डिक्री के माध्यम से लिया गया है।

13.08.1970 . ए. सी. एस. की सीमा तक भूमि का वितरण। राज्य सरकार द्वारा भारत संघ को 2.27 जी. टी. एस. में अस्वीकार कर दिया गया था

उस सूट को। डीक्रेटल भूमि के तीन तरफ की भूमि में श्रीनिवासुलु नायडू का कब्जा आर. डब्ल्यू. 2 द्वारा Ex.B21 की सामग्री के अनुसार स्वीकार किया जाता है। चूंकि 1990 के ओ. एस. सं. 175 में उक्त निर्णय और डिक्री ने भारत संघ द्वारा दायर 1972 के सी. सी. सी. ए. सं. 30 की अपील के खारिज होने को देखते हुए अंतिमता प्राप्त कर ली थी,

वादी इसके निष्पादन के लिए आगे बढ़े हैं। इसलिए पिता ने

आवेदकों में से कई को उनके द्वारा बेची गई भूमि के हिस्से पर अधिकार और कब्जा मिल गया था। 18. भारत संघ का यह तर्क कि पूरी भूमि कुछ हद तक एसीएस है। Ex.B28 कार्यवाही के अनुसार केंद्र सरकार को 2.20 जी. टी. एस. वितरित किया गया था जिसे एक सी. एस. की सीमा तक भूमि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 2. 20 ग्राम को मालेपल्ली गाँव क्षेत्र में माइनेचर राइफल रेंज के रूप में दिखाया गया था, न कि शेखपेट गाँव में और इस तरह, विशेष अदालत ने माना कि भूमि कुछ हद तक एसीएस की है। Exs.Al और A2 द्वारा कवर किए गए 2.20 ग्राम श्रीनिवासुलु के हैं।

नायडू और वे वैध दस्तावेज हैं।

19. जब निष्पादन की कार्यवाही लंबित होती है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 1990 के ओ. एस. <आई. डी. 2 में डिक्री द्वारा कवर की गई पूरी भूमि में एक तिहाई हिस्से का दावा किया, जो डिक्री धारकों में से एक, यानी वी. कृष्ण मूर्ति से दिनांकित 18.03.1992 असाइनमेंट डीड के तहत असाइनमेंट के रूप में था, जिसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पेंशन भुगतान कार्यालय के विध्वंस से बचने और अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए, भारत संघ ने विनिमय प्रस्ताव दिया डिक्री अनुसूची संपत्ति के बगल में स्थित खाली भूमि की पांच बराबर सीमा तक, हालांकि यह उसकी संपत्ति नहीं है।

भारत का विशेष न्यायालय संघ v. एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

यह देखा गया कि विनिमय के बाद, 2627.87 वर्ग कि. मी. की सीमा। यार्ड्स 'बी' भाग के रूप में दिखाए गए डिक्री द्वारा कवर आर 1 को दिया जाता है और

यह भी देखा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमि का कब्जा मिल गया

श्रीनिवासुलु नायडू विनिमय के बाद, उनका कब्जा अवैध है और

गैरकानूनी "।

14. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश ओएस नंबर 175/1970 में डिक्री पर आधारित था, हालांकि उक्त मुकदमा था

केवल 4971.5 वर्ग के संबंध में। सर्वेक्षण सं. 299/2 में शामिल यार्ड। उपरोक्त मुकदमे में वादियों ने दलील दी थी कि आवेदकों ने

दो बिक्री विलेखों के माध्यम से 2 एकड़ 27 गुंटा भूमि खरीदी और यह कि

वादी 4971.5 वर्ग कि. मी. के खरीदार हैं। यार्ड्स।

15. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विषय वस्तु

पहले सूट में से केवल 4971.5 वर्ग था। यार्ड जो वादी द्वारा खरीदा गया था। यह मुद्दा केवल उक्त भूमि पर वादी के स्वामित्व के संबंध में था। हालाँकि यह मुद्दा था कि क्या यह भूमि हैदराबाद राज्य सेना की है और इसे 1958 में संघ को सौंप दिया गया है, लेकिन इस तरह के मुद्दे का फैसला अपीलार्थियों के खिलाफ किया गया था। हालाँकि, इस तरह के मुद्दे पर निष्कर्ष उस भूमि तक ही सीमित होगा जो मुकदमे का विषय है, न कि पूरी भूमि जो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा संघ को सौंपी गई थी।

16. आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा भूमि का हस्तांतरण

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (2) (vii) को देखते हुए संघ को पंजीकृत साधन द्वारा पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं थी, जो निम्नानुसार है:

" 17. दस्तावेज़ जिनका पंजीकरण अनिवार्य है।

निम्नलिखित दस्तावेज पंजीकृत किए जाएंगे, यदि संपत्ति

(1)

जिस जिले से वे संबंधित हैं, वह उस जिले में स्थित है, जिसमें और यदि उन्हें उस तारीख को या उसके बाद निष्पादित किया गया है, जिस दिन 1864 का अधिनियम XVI, या भारतीय

पंजीकरण अधिनियम, 1866, या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1871, या भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1877, या यह अधिनियम आया या लागू हुआ, अर्थात्:

(क) अचल संपत्ति के उपहार के साधन;

(ख) अन्य गैर-वसीयतनामा उपकरण जो वर्तमान या भविष्य में किसी भी अधिकार, शीर्षक या ब्याज, चाहे [2021] 4 एस. सी. आर. को बनाने, घोषित करने, निर्दिष्ट करने, सीमित करने या समाप्त करने का उद्देश्य रखते हैं या संचालित करते हैं।

एक सौ रुपये के मूल्य का निहित या आकस्मिक

और ऊपर की ओर, अचल संपत्ति में या उसमें;

(ग) गैर-वसीयती दस्तावेज जो किसी भी प्रतिफल की प्राप्ति या भुगतान को स्वीकार करते हैं।
सृजन, घोषणा, समनुदेशन, सीमा या विलुप्त होना

ऐसा कोई अधिकार, शीर्षक या ब्याज; और

XX

XX

XX

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) और (सी) में कुछ भी लागू नहीं होता है -

XX

XX

XX

(vii) सरकार द्वारा अचल संपत्ति का कोई अनुदान;

17. सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 की धारा 2 में प्रावधान है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम सरकारी अनुदानों पर लागू नहीं होगा। इसलिए, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 में यह शर्त भी लागू नहीं है कि एक सौ रुपये और उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का हस्तांतरण केवल एक पंजीकृत साधन द्वारा किया जा सकता है। धारा 2 निम्नानुसार है:

" 2. सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882, सरकारी अनुदानों पर लागू नहीं होगा। - संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 में निहित कुछ भी, किसी भी अनुदान या भूमि के अन्य हस्तांतरण या सरकार द्वारा या उसकी ओर से या किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किए जाने वाले किसी भी ब्याज पर लागू नहीं होगा या कभी भी लागू नहीं समझा जाएगा, लेकिन ऐसे प्रत्येक अनुदान और हस्तांतरण का अर्थ इस तरह से लगाया जाएगा और प्रभावी होगा जैसे कि उक्त अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

18. यह तर्क दिया गया था कि भूमि को संघ को दिनांकित पत्र 10.10.1956 के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था जब 1650 एकड़ और 2 गुंटा भूमि सहित

378 आसफनगर लाइनों की एकड़ और 16 गुंटा भूमि भारत सरकार को हस्तांतरित की गई थी। इसके बाद, आई. डी. 1 पर, चंद्रयानगुट्टा लाइनों से जुड़ी 150 एकड़ 8 गुंटा भूमि को बाहर रखा गया और कलेक्टर से 1500 एकड़ 24 गुंटा भूमि को सैन्य संपदा अधिकारी को सौंपने की जल्द व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। इस तरह के संचार के अनुसरण में, 1500 एकड़ 24 गुंटा की भूमि का कब्जा दिनांक 19.3.1958 की कार्यवाही में भारत संघ को सौंप दिया गया था।

निऑन ऑफ इंडिया बनाम एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

हालाँकि, बाद में चंद्रयानगुट्टा लाइन में स्थित 150 एकड़ और 8 एकड़ भूमि को बाहर कर दिया गया। द.10.10.1956 दिनांकित नोनीकेशन इस प्रकार है:

" से:

सरकार के मुख्य सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग

हैदराबाद डेक्कन।

को।

सरकार के सचिव। भारत का रक्षा मंत्रालय,

नई दिल्ली।

विषय: - पुराने हैदराबाद का स्थान

डिफेंस के बीच कैन्टोनमेंट लैंड्स

मंत्रालय और राज्य सरकार

साहब,

मुझे इस सरकार को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया है। पत्र संख्या 1065 सीएडी सेना दिनांक 9 जुलाई, 1952 को राज्य मंत्रालय (अब गृह मंत्रालय) नई दिल्ली को संबोधित (तैयार होने के लिए प्रतिलिपि संलग्न)

संदर्भ) और यह कहना कि जैसा कि उसमें कहा गया है, भारत सरकार और हैदराबाद सरकार के बीच समझौता हुआ था। हैदराबाद सेना भवनों के आवंटन के संबंध में और समझौते के अनुसार हैदराबाद में निम्नलिखित लाइनों को सरकार की आईएसएफ लाइन संपत्ति के रूप में माना गया है। में से

भारत।

1) मोहम्मदी लाइन्स।

2) इब्राहिम बाग लाइन्स। 3) मकई दरवाजा लाइन्स।

4) आसफनगर लाइन्स

5) मसाब लाइन्स।

6) चंद्रयानगुट्टो लाइन्स [2021] 4 एस. सी. आर.

इसी तरह निम्नलिखित के संबंध में समझौता किया गया था:

हैदराबाद में हैदराबाद आर्मी लाइन और इमारत को हैदराबाद सरकार की गैर-आईएसएफ लाइन संपत्ति माना जा रहा है।

1) फतेह दरवाजा लाइन्स।

2) मल्लापल्ली लाइन्स।

3) ए. सी. गार्ड्स (सैफाबाद) लाइन्स।

4) नामपल्ली लाइन्स।

6) बंजारा दरवाजा लाइन्स। 7) फतह मैदान में बैंड लाइनें लगी हुई हैं।

8) माइसराम लाइन्स। जैसा कि उपरोक्त उद्धृत पत्र में कहा गया है कि आवंटन का प्रश्न

आईएसएफ और गैर-आईएसएफ भूमि का सीमांकन। तब से यह काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने आस-पास की भूमि के सीमांकन के पूरे प्रश्न की जांच करने के बाद सरकार की स्वीकृति के लिए सावधानीपूर्वक सुझाव दिया है। भारत का आबंटन जैसा कि एक में इंगित किया गया है

मानचित्रों का सेट (संख्या में पाँच) इसके साथ अग्रेषित किया गया है। आई. एस. एफ. लाइनों से जुड़ी भूमि को हरे रंग में दिखाया गया है जबकि गैर-आई. एस. एफ. लाइनों से जुड़ी भूमि को नीले रंग में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार की सिफारिश। संक्षेप में भूमि के आवंटन की परिकल्पना निम्नानुसार की गई है:

निऑन ऑफ इंडिया बनाम एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

	आई. एस. एफ लाइन्स			
			गुंटा	
			एकड़।	
1				
	मोहम्मदी लाइन्स			
		361		
			20	
	इब्राहिमबाग लाइन्स आदि।,			
2				
		484		
			02	
	मकई दरवाजा लाइन्स आदि।			
3				
			08	
		244		
	बंजारा दरवाजा लाइन्स			
4				
		32		
			18	

दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार।

बंजारा दरवाजा लाइन्स। मसाब लाइनों के लिए राज्य की संपत्ति का आदान-प्रदान किया जा रहा है। केंद्र की संपत्ति का आदान-प्रदान इस सरकार के अनुमोदन संख्या 197 जी. ए. डी. 21 आर्मी 56 दिनांक 26 जून 56 के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए यहाँ मसाब रेखाओं को हटा दिया गया है

और नीचे गैर-आईएसएफ रेखाओं के तहत दिखाया गया है-इसके बजाय बंजारा दरवाजा रेखाओं को आईएसएफ के रूप में दिखाया गया है।

		एकड़।	गुंटा
	आसफनगर लाइन्स		
		378	
			16
5			
	चंद्रयानगुट्टा लाइन्स		
6			
		150	
			08
	कुल		
		1650	
			32
	गैर-आई. एस. एफ लाइनें		
			गुंटा
		एकड़।	
1			
	फतेह दरवाजा लाइन्स, 42		
			04

(धनका कोटा और नौरंगी मैदान)

	मालापल्ली लाइन्स		
2			

ए. सी. गार्ड्स (सैफाबाद) लाइन्स 450

3

12

नामपल्ली लाइन्स

4

केंद्रीय सैन्य अस्पताल

5

इमारत (अब सरोजिनी देवी) अस्पताल)

6

मसाब लाइन्स माइसराम लाइन्स

7

463

10

बैंड लाइन्स फतेह मैदान

18

8

18

कुल

4

974

" ऊपर से पता चलेगा कि 1650 एकड़ में फैले 32 गुंटा चले जाएंगे।

केंद्र को और 974 एकड़ 04 गुंटा राज्य के हिस्से में आते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सरकार की सहमति जल्द से जल्द दें। पूर्व हैदराबाद [2021] 4 एस. सी. के उपरोक्त आवंटन के लिए भारत सरकार

छावनी केंद्र और राज्य के पास जाती है ताकि यह भूमि सरकार के हिस्से में आ जाए। भारत सरकार को स्थानीय सैन्य अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। जल्दी जवाब देने की बहुत सराहना की जाएगी।

आपका

विश्वास

एस.

भारत चंद धानी

गो के उप सचिव

10.

10.19

आईएसएफ एंड नॉन-आईएसएफ लैंड्स-हैदराबाद

आई. लंगर हौज

प्लैनिमीटर क्षेत्र

क्षेत्र

1. थोड़ा एक्सक्लूसिव। पोलो ग्राउंड 361

भारत सरकार।

20

(पूरा होने के बाद

एम 47 से एम 52 तक सर्वेक्षण

जलमग्न क्षेत्र

राज्य सरकार।

धनका लोथा का III बिट 20

08

II बिट नौरंगी मैदान 21

36

राज्य सरकार।

नं. 9 और एक्सक्लूसिव। द.

सड़क की दक्षिण सीमा

कार्यालय योजना

1 इब्राहिमबाग बैरक 467

II. गोलकोंडा क्षेत्र

28

भारत सरकार।

आदि।

सेप्टिक टैंक

9

02

किचन गार्डन

12

7

II. मकई दरवाजा लाइन्स 139

00

excl. अतिक्रमण 2 और

4 जैसा कि योजना में चिह्नित है)

गोलकोंडा 104 के पूर्व में तीसरा क्षेत्र

26

मकबरे

728

10

भारत सरकार।

बंजारा दरवाजा लाइन्स

30

14

अस्तबल।

2

04

18

32 भारत संघ v. एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

III मल्लापल्ली क्षेत्र I राइफल रेंज और परेड 372

16

जमीन आदि जैसा कि चिह्नित किया गया है

योजना

द्वितीय सैन्य कब्र यार्ड 3

20

III लघु राइफल रेंज 2

20

378

16

. एसडी /

10/10/56 "

20. आई. एस. एफ. लाइनें भारतीय सुरक्षा बलों की लाइनें हैं जबकि

गैर-आई. एस. एफ. रेखाएँ हैदराबाद राज्य जैसी गैर-भारतीय सुरक्षा बलों की रेखाओं को संदर्भित करती हैं। 378 एकड़ और 16 गुंटा वाली आसफनगर लाइनें आईएसएफ लाइन का एक हिस्सा हैं। उक्त संचार से जुड़े परिशिष्ट में आसफनगर लाइनों को मल्लापल्ली क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है।

इसका क्षेत्रफल 378 एकड़ और 16 गुंटा है। 2 एकड़ 20 गुंटा मापने वाली लघु राइफल रेंज के रूप में वर्णित भूमि वर्तमान अपीलों में भूमि का विषय है। मल्लापल्ली रेखाओं का उल्लेख गैर-आईएसएफ के रूप में किया गया है। रेखाएँ लेकिन लगभग 450 एकड़ और 12 गुंटा मापती हैं। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि अपेंडिक्स में, मल्लपल्ली क्षेत्र मल्लपल्ली रेखाओं से अलग है। मल्लापल्ली क्षेत्र

या तो आसफनगर रेखाओं का पर्याय है या गलती के कारण है, लेकिन इसका माप आसफनगर रेखाओं के बराबर है।

21. के साथ अपीलार्थी के बोर्ड की कार्यवाही

हैदराबाद के कलेक्टर ने 1500 एकड़ और 24 गुंटा के कब्जे के वितरण के संबंध में, जैसा कि दिनांक 19.3.1958 (Ex B-14) के पत्र में दर्ज किया गया है, इस प्रकार पढ़ा गया है:

" अधिकारियों के एक मंडल की प्रक्रियाएँ

में एकत्रित

गैरीसन का कार्यालय

इंजीनियर, सिकंदराबाद

19 मार्च 1958 को 1000 बजे।

के आदेश से

स्टेशन हेडक्वार्टर

लेटर नं. 17729

दिनांक 15 जनवरी, 1958

के उद्देश्य के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य बल भूमि में

हैदराबाद पहुँच रहा है

सेना का साझीदार

अध्यक्षीय अधिकारी

ब्रिगेडियर जी. एस. बाल-स्टेशन कमांडर सदस्यगण

1. मेजर डब्ल्यू. एस. रसालम -

डी. ए. ए. और क्यू. एम. जी.

मुख्यालय

सिकंदराबाद

स्टेशन

प्रतिनिधि। एम. ई. एस. गैरीसन

2. श्री एच. एस. गुंडप्पा

इंजीनियर

प्रतिनिधि। एमएल एंड सी एमईओ

3. श्री डी. डी. आनंद

सिकंदराबाद

प्रतिनिधि। कलेक्टर के

4. श्री रामास्वामी नायडू

हैदराबाद

बोर्ड आदेश के अनुसार इकट्ठा हुआ, आगे बढ़ा

भूमि अभिलेखों से अधिग्रहण की जाने वाली संपत्ति और उसके स्थान और सीमा के विवरण का पता लगाने के लिए। कलेक्टर के प्रतिनिधि श्री रामास्वामी नायडू ने भूमि अभिलेखों से इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की, हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की सीमा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। (क) भारत सरकार के पत्र संख्या 70732/कि अनुसार

क्यू3 (पीएलजी) वीओएल-II/18-एस/क्यू/डी (क्यूटीडी) और एलएचडी दिनांक 11 मार्च

1957 आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव को

सामान्य प्रशासन (सैन्य विभाग) हैदराबाद,

1650 आसफ नगर से जुड़ी एकड़ और 32 गुंटा भूमि

उपर्युक्त क्षेत्र का राज्य के परिक्षेत्रों में निहित है सरकारी पत्र संख्या 392 जी. ए. डी. 23 वीं सेना 56 दिनांकित

1056 अक्टूबर जो अनुलग्नक "बी" के रूप में संलग्न है।

I ऑफ इंडिया v. एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

इसके बाद जी. ए. डी. ज्ञापन No.2733/57-2 के माध्यम से

दिनांक 24 अगस्त 57 को कलेक्टर को संबोधित किया गया और सैन्य संपदा अधिकारी, प्रशासनिक कमांडेंट, स्टेशन मुख्यालय, सिकंदराबाद और राजस्व बोर्ड को प्रतियां 150 एकड़ और 8 गुंटा भूमि के अनुलग्नक "सी" के रूप में संलग्न की गईं।

अधिकारीगण। इसकी पुष्टि सेना मुख्यालय द्वारा की जानी है। इसके अनुसरण में निम्नलिखित क्षेत्रों को लिया जाना चाहिए: सैन्य अधिकारियों द्वारा:

एकड़ गुंटा

1) मोहम्मदी रेखाएँ मापना

361

20

484

2) इबहाइमबाग रेखाएँ मापना

2

3) मक्कई दरवाजा लाइन्स

244

8

मापना

4) बंजारा दरवाजा लाइन्स

32

18

मापना

378

5) आसफनगर लाइन्स मापन

16

कुल

1500

24

उपरोक्त योजनाओं को अनुलग्नक "डी", "ई", "एफ" के रूप में संलग्न किया गया है। इन क्षेत्रों को राज्य निपटान विभाग द्वारा पार किया गया है और जमीन पर पत्थर के खंभे भी लगाए गए हैं। बोर्ड द्वारा स्थलों पर उनका भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है। वर्तमान में सीमा पत्थरों को अस्थायी रूप से तार से चिह्नित किया जाता है। वे स्थायी रूप से होने चाहिए उत्कीर्णित।

बोर्ड ने अपने भौतिक सत्यापन के दौरान इस आधार पर देखा कि सभी लाइनों में कई अतिक्रमण हैं, जिन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया गया है। ये अतिक्रमण कलेक्टर 'भूमि' अधिग्रहण हैदराबाद द्वारा अपने पत्र में प्रस्तुत किए गए हैं। नहीं। आर. सी.-सी. आई. ओ./1522/हाईड/58 दिनांक 9 मई, 58. वीडियो संलग्नक। बोर्ड ने पाया कि अतिक्रमण प्रकृति [2021] 4 एस. सी. आर. में हैं।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

दोनों निर्मित क्षेत्रों (स्थायी और अस्थायी) और

कृषि क्षेत्र। बोर्ड को कलेक्टर के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि सेना के अधिकारियों द्वारा ली जा रही भूमि की सीमा के भीतर आने वाली भूमि के कुछ क्षेत्रों को नागरिक अधिकारियों द्वारा कृषि, चराई और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दिया गया है। कलेक्टर के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत उन पट्टों के विवरण और शर्तों के साथ ऐसे पट्टों की एक सूची अनुलग्नक "एच" के रूप में संलग्न है।

हालांकि बंजारा दरवाजा लाइन की इमारतों को अभी तक राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं सौंपा गया है, क्योंकि अभी भी H.S.R.P इकाइयों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उपरोक्त अनुसूची के अनुसार उससे जुड़ी भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया है। भौतिक सत्यापन और स्थल पर भूमि के अधिग्रहण के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

(क) आसफनगर लाइन्स

i) सरोजिनी देवी अस्पताल के बीच सीमांकन रेखा

और आसफनगर रेखा को सीमा स्तंभों से अतिरिक्त सीमा पत्थरों को ठीक करके फिर से चिह्नित करने की आवश्यकता है।

राज्य अधिकारियों द्वारा No.46 से 113 तक। कार्रवाई हो रही है

हाथ।

(ii) राज्य सरकार के प्रतिनिधि श्री.

रामास्वामी नायडू ने कहा कि उनके बीच एक अंत:क्षेत्र असफ़नगर पम्पिंग स्टेशन और हुसैन गुलशन के नाम से जानी जाने वाली इमारत और आसपास के 44 एकड़ के कुल कृषि क्षेत्र सहित 76 से 100 स्तंभों को अब नहीं सौंपा जाना है और ऊपर पैरा 1 की मद (बी) में उल्लिखित 378 एकड़ और 16 गुंटा के क्षेत्र में गलत तरीके से गणना की जानी है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की संपत्ति (असफ़नगर वाटर वर्क्स) और निजी संपत्ति शामिल है।

(ख) XXX

XXX

((ग)

((घ)

(ई) इब्राहिमबाग लाइन्स यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

सीमा स्तंभ योजना के अनुसार मौजूद हैं।

6 .

सक्रिय के लिए क्षेत्रों की सिफारिश के संबंध में

सेना का उपयोग (कब्जे में इकाइयाँ), उनका भविष्य में उपयोग और

उपयोगकर्ता इकाइयों से अधिशेष भूमि का पता लगाया जा रहा है

को सौंपने के लिए अधिशेष निर्धारित करने के लिए दृश्य

सैन्य संपदा अधिकारी।

पीठासीन

अधिकारी-एस. डी /

सदस्य

1. एसडी /

2. एसडी /

3. एसडी /

4. एसडी /

22. यह आगे तर्क दिया जाता है कि ऐसी भूमि को कब्जे में दर्ज किया गया है

प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया, विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में जैसे कि (ई) न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं और (एफ) विशेष मामलों में व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम का पालन किया गया है। इस प्रकार, आधिकारिक कर्तव्य के दौरान रखे गए दस्तावेजों में शुद्धता की धारणा होगी जिसके आधार पर संघ को भूमि हड़पने वाला नहीं कहा जा सकता है, जो आवेदकों को न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार देता है। विचाराधीन भूमि पर संघ का स्पष्ट अधिकार है। हालांकि, पहले मुकदमे में, संघ असफल रहा, लेकिन उक्त मुकदमे में निष्कर्ष भूमि तक ही सीमित होंगे जो उक्त मुकदमे का विषय है, न कि पूरी भूमि के लिए।

23. दूसरी ओर, श्री राव ने तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि है

सरफ-ए-खास भूमि अर्थात निजाम परिवार से संबंधित हैदराबाद राज्य की मुकुट भूमि। आवेदक के पूर्ववर्ती को भूमि बेचने वाले शेख अहमद निज़ाम के अधीन पट्टा के धारक थे। ऐसा पट्टा एक है

स्वामित्व का दस्तावेज और इसलिए, दिनांक 12.12.1959 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से आवेदकों के पूर्ववर्ती को एक वैध शीर्षक दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि पहले मुकदमे में डिक्री आवेदकों के पूर्ववर्ती द्वारा खरीदी गई पूरी संपत्ति के संबंध में है, हालांकि वादी का दावा उसके द्वारा खरीदी गई भूमि तक ही सीमित था।

इसलि

ए, [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसी डिक्री न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करेगी। रिलायंस को रखा गया था

एल. आर. द्वारा के. एथिराजन (मृत) के रूप में रिपोर्ट किया गया एक निर्णय। वी. लक्ष्मी और ओरस। ' जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां मुद्दे सीधे और

काफी हद तक पिछले में एक ही पक्षों के बीच शामिल और

बाद का मुकदमा समान है, हालांकि पिछले मुकदमे में, संपत्ति का केवल एक हिस्सा शामिल था, जबकि बाद के मुकदमे में, पूरी संपत्ति विषय वस्तु थी, न्यायनिर्णायक का सिद्धांत होगा

लागू होता है। यह भी तर्क दिया गया कि भूमि हड़पने वाले किसी भी व्यक्ति का कार्य अधिनियम के दायरे में आता है और अपीलकर्ता भी व्यक्ति होते हैं अधिनियम की धारा 2 (छ) के अर्थ के भीतर। इसलिए, न्यायाधिकरण के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही वैध थी और सही निर्णय लिया गया है।

24. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। निम्नलिखित

वर्तमान अपीलों में प्रश्नों का निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

((i) क्या वादी द्वारा दायर पहले मुकदमे में पारित आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य करता है?

((ii) क्या अपीलकर्ताओं ने भूमि पर अपना अधिकार साबित कर दिया है।

सवाल?

((ग) क्या अपीलार्थी इस अर्थ के भीतर भूमि हड़पने वाला है -

अधिनियम की धारा 2 (डी)?

25. आवेदकों ने मुख्य रूप से इस आधार पर अपीलकर्ताओं से कब्जे का दावा किया है कि वादी द्वारा 14.4.1965 पर दायर मुकदमे में, मुकदमे का आधार वादी द्वारा भूमि की खरीद थी

आवेदकों के पिता। चूंकि वादी को आवेदकों के पिता से भूमि की खरीद के आधार पर मालिक पाया गया है, इसलिए उक्त मुकदमे में तय किए गए स्वामित्व का मुद्दा न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम करेगा। इसलिए, यहाँ अपीलकर्ता भूमि हड़पने वाले हैं जिनका विचाराधीन भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। यह दोहराया जा सकता है कि वादी ने 4971.5 वर्ग मीटर की भूमि खरीदी थी। पिता से दूरी

आवेदक जबकि शेष भूमि का माप 7128.5 वर्ग मीटर है। यार्ड को आवेदकों द्वारा बनाए रखा गया था। इसलिए, पहले मुकदमे में डिक्री केवल पहले मुकदमे में अनुसूचित संपत्ति के संबंध में थी अर्थात

4971.5 वर्ग कि. मी. याई्स। पट्टा, आवेदकों के स्वामित्व का आधार, न्यायाधिकरण के समक्ष साक्षय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, शीर्षक का मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। 5 (2003) 10 एस. सी. सी. 578 भारत संघ बनाम

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

26. पहले मुकदमे में, आवेदकों के पिता ने विचाराधीन भूमि पर अधिकार या अधिकार का दावा करने के लिए कोई जवाबी दावा दायर नहीं किया था। द.

4971.5 वर्ग मीटर मापने वाली भूमि। यार्ड एक अनुसूची संपत्ति थी और पहले सूट का विषय था। मुद्दा नं. 1 पहले वाद में वाद से पहले 12 वर्षों के भीतर 'वाद भूमि' पर वादी और उनके पूर्ववर्ती के कब्जे के संबंध में था। इसलिए, वादी के अधिकारों की जांच ऐसे वाद भूमि के संबंध में की गई थी जिसका माप 4971.5 वर्ग मीटर था। हालाँकि, कब्ज़े और स्वामित्व पर निष्कर्ष को वापस करने के लिए, वादी द्वारा खरीदी गई भूमि पर आवेदकों के पिता के कब्जे को शेख अहमद को दिए गए पट्टा के आधार पर एक साथ जोड़ा गया था, हालांकि रिकॉर्ड में पेश या साबित नहीं किया गया था।

27. आवेदकों द्वारा दायर दूसरे मुकदमे में, मुकदमे का पूरा आधार पहले मुकदमे में वापस किए गए निष्कर्ष थे। कोई स्वतंत्र नहीं है

शेख अहमद द्वारा भूमि की खरीद के संबंध में प्रस्तुत साक्षय और उसे जारी किए गए पट्टा की वैधता या वैधता। हालाँकि, आवेदकों ने दावा किया है कि वे अपने कब्जे को सत्यापित करने के लिए विचाराधीन भूमि का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की याचिका के अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि

वादी की ओर से विचाराधीन भूमि पर अधिकार का दावा करने के लिए कोई गुप्त और स्पष्ट कार्य।

28. वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने वादी के साथ एक समझौता किया था जिसके द्वारा कब्जे में कुछ भूमि डिक्री धारक को 19.8.1995 पर न्यायालय की अनुमति के साथ निष्पादन में दी गई थी। इस तरह की कार्रवाई अपीलार्थियों द्वारा अधिकार के दावे को दर्शाएगी ताकि डिक्री की संतुष्टि में भूमि का आदान-प्रदान किया जा सके। आवेदक के पिता निष्पादन की कार्यवाही में पक्षकार थे लेकिन उन्होंने इस पर आपत्ति नहीं जताई

विनिमय करें। यह अनिवार्य रूप से एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि आवेदकों के पिता के पास अधिकार नहीं था और उन्होंने शीर्षक या अधिकार का दावा नहीं किया है।

7128.5 वर्ग मीटर मापने वाली शेष भूमि पर अधिकार। यार्ड्स। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे वर्ष 1958 में हस्तांतरण की तारीख से भूमि के कब्जे में हैं जब हैदराबाद के कलेक्टर ने उन्हें कब्जा सौंप दिया था। अपीलार्थी पिछले 30 वर्षों से बिना किसी हाथ के कब्जे में बने रहे।

29. इन तर्कों की जांच करने के लिए कि पिछले मुकदमे में डिक्री न्यायिक आधार पर काम करेगी, सी. पी. सी. की धारा 11 निकाली जा सकती है:

" 11. रेस जुडिकाटा। - कोई भी न्यायालय किसी भी मुकदमे या मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें मामला प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक जारी किया गया है और [2021] 4 एस. सी. आर.

समान पक्षों के बीच किसी पूर्व वाद में, या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी दावा करता है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमेबाजी करते हुए, ऐसे बाद के वाद या उस वाद का परीक्षण करने के लिए सक्षम न्यायालय में, जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है,

और ऐसी अदालत द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है।

स्पष्टीकरण I-"पूर्व वाद" पद एक ऐसे वाद को दर्शाता है जिसका निर्णय वाद से पहले किया गया है या नहीं।

न कि यह उससे पहले स्थापित किया गया था।

स्पष्टीकरण II। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय की क्षमता का निर्धारण किसी भी प्रावधान के बावजूद किया जाएगा -

ऐसे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार।

स्पष्टीकरण III। — पूर्व मुकदमे में उल्लिखित उपरोक्त मामले पर एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है और या तो इनकार किया गया है या

स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे द्वारा स्वीकार किया गया।

स्पष्टीकरण IV-कोई भी विषय जो हो सकता है और होना चाहिए

ऐसे पूर्व वाद में बचाव या हमले का आधार बनाया गया है, यह प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक एक मामला माना जाएगा

इस तरह के मुकदमे में मुद्दा "।

30. न्यायनिर्णायक याचिका आम तौर पर वादियों के खिलाफ उठाई जाती है जो न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदक होंगे। इस न्यायालय ने एक निर्णय में अलका गुप्ता बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। नरेंद्र कुमार गुप्ता ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक याचिका एक वादी के अपने दावे पर निर्णय लेने के अधिकार पर एक प्रतिबंध है। इस न्यायालय ने किसी भी मुकदमे या मुद्दे पर न्यायपालिका के प्रतिबंध को लागू करने के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। यह निम्नानुसार देखा गया है:

" 20. न्यायिक याचिका एक वादी के अपने दावे पर निर्णय लेने के अधिकार पर एक प्रतिबंध है। याचिका स्पष्ट होनी चाहिए

स्थापित, विशेष रूप से जहां बार की मांग की गई है, वह रचनात्मक रेस जुडिकाटा के आधार पर है। वादी जिसे रचनात्मक बचाव न्यायिकता के बार द्वारा रोके जाने की मांग की जाती है, उसके पास

याचिका के बारे में नोटिस होना चाहिए और उसके खिलाफ अपनी दलीलें रखने का अवसर होना चाहिए। इस मामले में, कोई रचनात्मक न्यायिक याचिका नहीं थी, न ही अपीलार्थी-वादी को मिलने का अवसर था

इस तरह की याचिका पर आधारित मामला।

6 (2010) 10 एस. सी. सी. 141 एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया बनाम

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

21. रेस जुडिकाटा का अर्थ है "एक निर्णय की गई चीज़", अर्थात एक ऐसा मुद्दा जो अंततः न्यायिक निर्णय द्वारा सुलझा लिया जाता है। कोड रेज़ से संबंधित है

धारा 11 में न्यायिक विवरण, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे निकाला गया है

(स्पष्टीकरण I से VIII को छोड़कर):

" 11. न्याय करें। - XXXX

XXXX

22. संहिता की धारा 11, एक विश्लेषण पर निम्नलिखित की अपेक्षा करती है - आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, रेस जुडिकाटा के बार को लागू करने के लिए

किसी भी मुक़दमे या मुद्दे के लिए:

((i) मामला प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दे में होना चाहिए। पूर्व सूट और बाद के सूट में।

((ii) पूर्व मुकदमा उन्हीं पक्षों या व्यक्तियों के बीच होना चाहिए।

उनके तहत दावा करना।

(iii) दलों को पहले उसी शीर्षक के तहत मुकदमा करना चाहिए था।

सूट।

((iv) बाद के वाद में जारी मामला होना चाहिए था

प्रश्न में विशेष मुद्दे का प्रयास करें। " 31. रेस जुडिकाटा का नियम जनता के विचारों पर आधारित है।

कि अंतिमता को बाध्यकारी निर्णयों से जोड़ा जाना चाहिए

सक्षम अधिकारिता के न्यायालयों द्वारा अप्रमाणित। दरयाओ में यह न्यायालय

एस. वी. यू. पी. और अन्य का राज्य ' निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 9. ..... अब, धारा 11 में दर्शाए गए न्यायनिर्णयक नियम

सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई संदेह नहीं है कि कुछ तकनीकी पहलू हैं,

सार्वजनिक नीति पर विचार। यह जनता के हित में है बड़ा कि एक अंतिमता बाध्यकारी निर्णयों से जुड़ी होनी चाहिए

सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा घोषित, और यह भी है

एक ही तरह के मुकदमे के साथ। यदि ये दोनों सिद्धांत रेस जुडिकाटा के सामान्य नियम की नींव का इलाज नहीं किया जा सकता है

मौलिक अधिकारों से निपटने में भी अप्रासंगिक या अस्वीकार्य

अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं में।

32. कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में। वी. सभी निर्माता संगठन और Ors.[3], इस न्यायालय ने विचार किया है सी. पी. सी. की धारा 11 की धारा III और IV। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 32. रेस जुडिकाटा व्यापक जनहित पर आधारित एक सिद्धांत है। और यह दो आधारों पर आधारित है: एक मैक्सिम नेमो डेबेट है किसी को भी दो बार नहीं होना चाहिए एक ही कारण से दुखी [पी. रामनाथ अय्यर: उन्नत लॉ लेक्सिकन, (खंड। 3, तीसरा संस्करण, 2005) पी. 3170]) और दूसरा, सार्वजनिक नीति कि एक ही मुकदमे का अंत होना चाहिए [मुल्ला: सिविल प्रक्रिया संहिता, (खंड। 1, 15 वीं संस्करण, 1995) पर पी। 94] . यह अच्छी तरह से तय है कि सिविल प्रक्रिया की धारा 11 संहिता, 1908 (इसके बाद "सी. पी. सी".) इसका आधार नहीं है। न्यायपालिका का सिद्धांत, लेकिन केवल वैधानिक मान्यता और इसलिए, इस खंड को संपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए कानून का सामान्य सिद्धांत [कालीपद डे वी देखें। द्विजपद दास, (1929-1930) 57 आई ए 24: ए. आई. आर. 1930 पी. सी. 22 पी. 23] . मुख्य बात इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि एक बार मामला निर्धारित हो जाने के बाद मामला बार-बार। धारा 11 सी. पी. सी. इस सिद्धांत को मान्यता देती है। और किसी न्यायालय को किसी भी मुकदमे या मुद्दे पर मुकदमा चलाने से मना करता है, जो कि न्यायपालिका, "कार्रवाई के कारण को रोकने" और "मुद्दे" दोनों को पहचानना एस्तोपल "। दो मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, एक,

सोमशेखर रेड्डी में मुद्दे और निष्कर्ष [(1999) 1 के. एल. डी. 500 : (2000) 1 कांत एल. जे. 224 (डी. बी.)] ने न्यायपालिका का गठन किया

वर्तमान मुकदमा।

XX

XX

XX

36. हम वर्तमान में इस बात पर विचार करेंगे कि क्या मुद्दे और निष्कर्ष सोमशेखर रेड्डी में [(1999) 1 के. एल. डी. 500: (2000) 1 कांत एल. जे.

224 (डी. बी.)] वास्तव में वर्तमान के लिए न्यायपालिका का गठन करता है। मुकदमेबाजी। सी. पी. सी. की धारा 11 निस्संदेह यह प्रदान करती है कि केवल वे

वे मामले जो "प्रत्यक्ष रूप से और महत्वपूर्ण रूप से मुद्दे में थे"

पिछली कार्यवाही बाद में न्यायपालिका का गठन करेगी।

आगे बढ़ रहे हैं। धारा 11 के स्पष्टीकरण III में यह प्रावधान है कि किसी मुद्दे के लिए

न्यायपालिका के लिए यह एक पक्ष द्वारा उठाया जाना चाहिए था और

दूसरे ने स्पष्ट रूप से इनकार किया:

XX

XX

XX

6) 4 एस. सी. सी. 683 भारत संघ बनाम एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

41. इन कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न, इसलिए,

यह सामने आता है कि सोमशेखर में वास्तव में क्या मांगा गया था

रेड्डी [(1999) 1 केएलडी 500: (2000) 1 कांत एल. जे. 224 (डी. बी.)], उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे के पहले दौर में यह कैसे तय किया गया था, और श्री जे. सी. मधुस्वामी और अन्य के कहने पर उत्पन्न वर्तमान मुकदमे में क्या मांगा गया है। यह दिखाने के लिए कि अतिरिक्त भूमि का मुद्दा सोमशेखर रेड्डी [(1999) 1 के. एल. डी. 500 में "प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दे में था": (2000) 1 कांत एल. जे. 224 (डी. बी.)] हम सबसे पहले सोमशेखर रेड्डी [(1999) 1 के. एल. डी. 500 में पक्षों की प्रार्थनाओं, कार्रवाई के कारणों, पक्षों के कथनों और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की जांच करेंगे: (2000) 1 कांत एलजे 224 (डीबी)]।"

33. इस मुद्दे की जांच दूसरे कोण से की जा सकती है कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके सह-न्यायाधीशों के खिलाफ न्यायिक याचिका दायर की जा सकती है।

भगवानदास '। यह अदालत एक ऐसी स्थिति की जांच कर रही थी जहां कब्जे के लिए एक मुकदमे में प्रतिवादी भगवानदास को किरायेदार पाया गया था मूल मालिक हीरालाल और बाद में खरीद के बाद, वह रामधर का किरायेदार बन गया था। पहला मुकदमा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि भगवानदास के किरायेदार होने के खिलाफ कब्जे का मुकदमा विचारणीय नहीं था। खरीदार द्वारा दायर एक अन्य मुकदमे में, प्रतिवादी ने वादी के शीर्षक से इनकार कर दिया, हालांकि पहले मुकदमे में ऐसी याचिका नहीं थी। इनमें

परिस्थितियों में, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 23. हाथ में मामले में, यह स्पष्ट है कि पहले के मुकदमे में, अदालत ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया था कि प्रतिवादी भगवानदास था हीरालाल के किरायेदार के अलावा न तो संपत्ति का मालिक और न ही वह इस बात का कोई अधिकार दिखा सकता था कि वह ऐसी संपत्ति पर कैसे कब्जा कर रहा था। यदि भगवानदास किरायेदार के अलावा किसी अन्य क्षमता में वैध कब्जे में होने का दावा कर रहे थे, तो उन्हें आगे आना चाहिए था।

उन कार्यवाहियों में बचाव के आधार के रूप में ऐसा दावा। उसे करना चाहिए।

संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के तहत ऐसा दावा करने के लिए, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। इस प्रकार संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में उत्कीर्ण रचनात्मक प्रति न्यायिकता का सिद्धांत मामले के तथ्यों पर लागू होता है और वर्तमान वाद में प्रतिवादी ऐसा तर्क नहीं ले सकता है जो उसे पिछले वाद में लेना चाहिए था और जिसे उसने नहीं लिया था। संहिता की धारा 11 का स्पष्टीकरण IV स्पष्ट रूप से आकर्षित है और प्रतिवादी भगवानदास को इसे लेने से रोका जा सकता है।

वर्तमान कार्यवाहियों में ऐसा विवाद।

34. सह-प्रतिवादियों के बीच न्याय संगतता हो सकती है या नहीं, इस मुद्दे की जांच सबसे पहले प्रिवी काउंसिल ने मुन्नी बीबी (मृत होने के बाद से) और अन्र के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में की थी। वी. तिरलोकी नाथ & Ors.[10]। सह-प्रतिवादियों के बीच न्याय व्यवस्था के तीन सिद्धांतों को इस प्रकार चित्रित किया गया था: (1) प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव होना चाहिए; (2) वादी को वह राहत देने के लिए इस संघर्ष का निर्णय लेना आवश्यक होना चाहिए जिसका वह दावा करता है; (3) प्रतिवादियों के बीच के प्रश्न का अंततः निर्णय हो गया होगा। यह परीक्षण भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि पहले मुकदमे में वादी को कब्जे से राहत देने के लिए, आवेदकों के पिता और अपीलार्थियों के बीच शेष भूमि के मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं था। उक्त सिद्धांत था

महबूब साहब बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया। सैयद इस्माइल और अन्य 1 1 जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

" 8. इन परिस्थितियों में सवाल उठता है कि क्या

उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय के सिद्धांत पर अपीलीय डिक्री को उलटने में सही था। इस मोड़ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है कि निचली अदालत ने न्यायपालिका की याचिका को अस्वीकार कर दिया प्रारंभिक मुद्दा।
हालाँकि यह न्यायिक निर्णय के सिद्धांत के आधार पर निचली अदालत के आदेश को बनाए रखने के लिए खुला था, लेकिन इसके आधार पर अपीलीय अदालत के समक्ष बहस नहीं की गई थी। इसके द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कि ओएस सं. 3/1/1951 में डिक्री कार्य नहीं करती है क्योंकि रेज़ जुडिकाटा अंतिम हो गया। तब सवाल यह है कि क्या रेस जुडिकाटा का सिद्धांत इस मामले में तथ्यों की ओर आकर्षित होता है। यह सच है कि सी. पी. सी. की धारा 11 के तहत जब मामला उन्हीं पक्षों के बीच या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत उन्होंने या उनमें से किसी ने दावा किया है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमेबाजी करने वाले पूर्व मुकदमे में प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से जारी किया गया है, तो पूर्व में डिक्री

10 एयर 1931 पीसी 114

11 (1995) 3 एस. सी. सी. 693 भारत संघ बनाम

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

वाद वादी और प्रतिवादी के बीच या सह-वादी या सह-प्रतिवादियों के बीच का न्यायिक मामला होगा।"

35. एल. आर. एंड ओ. आर. एस. द्वारा हाल ही में गोविंदम्मल (मृत) के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में। वी. वैद्यनाथन और Ors.[1]2, सह-प्रतिवादियों के बीच रेस जुडिकाटा की प्रयोज्यता की जांच की गई। याचिकाकर्ता थे

पहले मुकदमे में प्रतिवादी और अपीलार्थी भी थे। उपरोक्त मामले में, ए अनुसूची संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा या बी अनुसूची संपत्ति में आधे हिस्से के विभाजन के विकल्प में मुकदमा दायर किया गया था। न्यायालय ने पैरा 14 में सह-प्रतिवादियों के भीतर प्रति न्यायिकता के सिद्धांत पर विचार किया जो निम्नानुसार है:

" 14. हालाँकि, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनमें न्यायिक निर्णय के सिद्धांत सह-प्रतिवादियों के बीच लागू हो सकते हैं। यह है

एक सदी से अधिक समय से अंग्रेजी अदालतों के साथ-साथ हमारी अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है। सह-प्रतिवादियों के बीच न्यायनिर्णयक सिद्धांत को लागू करने के लिए अपेक्षित शर्तें यह हैं कि (क) संबंधित प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव होना चाहिए, (ख) वादी को वह राहत देने के लिए इस संघर्ष का निर्णय लेना आवश्यक होना चाहिए जिसका वह दावा करता है, और (ग) प्रतिवादियों के बीच के प्रश्न का अंततः निर्णय हो गया होगा। हाथ में मामले में सभी तीन आवश्यक शर्तें अनुपस्थित हैं। सबसे पहले, मंदिर और स्कूल द्वारा दायर मुकदमों में प्रतिवादियों के बीच हितों का कोई टकराव नहीं था। दूसरा, चूंकि कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए मंदिर या स्कूल, जो वादी थे, को राहत देने के लिए उन मुकदमों में प्रतिवादियों के बीच किसी भी संघर्ष का फैसला करना आवश्यक नहीं था। दूसरी ओर, वादी के पिता और प्रतिवादी के पिता मंदिर और स्कूल द्वारा दायर उन मुकदमों में सांठगांठ कर रहे थे। उन दोनों ने एकजुट होकर उन मुकदमों का विरोध किया। उसी को ध्यान में रखते हुए, रेस जुडिकाटा के सिद्धांत

यह लागू नहीं होगा "।

36. आवेदकों ने उस भूमि पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया है जो उनके कब्जे में होने का दावा किया जाता है और पहले मुकदमे की विषय वस्तु

केवल 4971.5 वर्ग था। यार्ड्स। इसलिए, उक्त वाद में डिक्री केवल वाद में भूमि के लिए बाध्यकारी है। 37. हालांकि पहला मुकदमा एक ही पक्ष के बीच है, लेकिन विषय वस्तु समान नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया को लागू करने के लिए, पूर्व मुकदमे में मामले को एक पक्ष द्वारा आरोपित किया गया होना चाहिए और दूसरे द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अस्वीकार या स्वीकार किया गया होना चाहिए। चूंकि सूट में मुद्दा है

2 (2019) 17 एस. सी. सी. 433 [2021] 4 एस. सी. आर.

4971.5 वर्ग तक सीमित था। याई्स, डिक्री केवल उस हद तक बाध्यकारी होगी। स्पष्टीकरण IV के अनुसार इस मुद्दे को रचनात्मक न्यायनिर्णायक द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह बाद के मुकदमे में वादी पर लागू होता है। अपीलकर्ताओं ने पहले मुकदमे में वादी के दावे को इस हद तक अस्वीकार कर दिया है कि यह केवल उस मुकदमे का विषय था। इसलिए, पहले मुकदमे में डिक्री बाद के मामले में न्यायिक आदेश के रूप में कार्य नहीं करेगी।

विषय हैं।

38. के. एथिराजन में इस न्यायालय के फैसले पर श्री राव की निर्भरता स्वीकार्य नहीं है। वास्तव में, इस तरह के निर्णय को विवादित आदेशों का भी आधार बनाया गया है। निर्णय के पैरा 20 पर निर्भरता है, जो इस प्रकार है:

" 20. यह तर्क कि न्यायिक निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता क्योंकि पिछले मुकदमे में संपत्ति का केवल एक हिस्सा शामिल था

जब बाद के मुकदमे में पूरी संपत्ति विषय वस्तु है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत प्रति न्यायिक का सिद्धांत आकर्षित होता है जहां पिछले और बाद के मुकदमे में समान पक्षों के बीच प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से शामिल मुद्दे समान होते हैं-हो सकता है कि पिछले मुकदमे में संपत्ति का केवल एक हिस्सा शामिल था जब बाद के मुकदमे में, पूरी संपत्ति विषय-वस्तु है।

40. उक्त अनुच्छेद को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। जिन तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया जाता है, उन्हें ध्यान में रखा जाना आवश्यक है -

जिस पृष्ठभूमि में इस तरह के अवलोकन को दर्ज किया गया है, उसकी समझ रखें। एक पंक्ति या पैराग्राफ को तथ्यों और मुकदमे की प्रकृति को देखे बिना नहीं उठाया जा सकता है। पहले मुकदमे में, मृतक एम. गुरुनाथन ने मृतक-के. को बेदखल करने की मांग की। एथिराजन, (दूसरे मुकदमे में वादी), विशेष स्वामित्व का दावा करके मुकदमे की संपत्ति के एक हिस्से से। उक्त मुकदमे में निचली अदालत ने माना कि मृतक-के। एथिराजन को केवल मृतक-एम के लाइसेंसधारी के रूप में मुक़दमे की संपत्ति के कब्जे में नहीं रखा जा सकता है। गुरुनाथन। उनके द्वारा दायर कब्जे के विभिन्न दस्तावेजों और 1948 के अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा दिए गए संयुक्त पट्टा से पता चलता है कि उन्हें 1940 से सूट संपत्ति के मालिक के रूप में रखा गया था। निचली अदालत ने यह भी माना कि मृतक-के। मालिक के रूप में मुकदमे की संपत्ति के निरंतर कब्जे में रहने के कारण एथिराजन ने 12 साल की वैधानिक अवधि से अधिक समय तक प्रतिकूल कब्जे में रहकर अपने अधिकार को पूरा किया था।

40. के. एथिराजन (दूसरे मुकदमे में वादी) ने वादी और मृत भारत संघ को दिए गए संयुक्त पट्टे के आधार पर भूमि के विभाजन का दावा किया।

एल. आर. एस. के माध्यम से एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

प्रतिवादी एम. गुरुनाथन। यह इस संयुक्त पट्टा के आधार पर है, वादी द्वारा दायर विभाजन के मुकदमे का फैसला निचली अदालत के साथ-साथ प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा भी किया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि पहले मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से शामिल मुद्दा मृतक-एम के अनन्य स्वामित्व का दावा करना था। गुरुनाथन मृतक-गंगम्मल द्वारा छोड़ी गई पूरी संपत्ति के लिए, हालांकि प्रतिवादी से उस भूमि के एक विशेष हिस्से से बेदखल करने की मांग की गई थी, जिस पर उसने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी। पूरी संपत्ति पर स्वामित्व का दावा विशेष रूप से किया गया था पहले सूट में उठाया गया। पैरा 20 में दिए गए निष्कर्ष इन परिस्थितियों में वापस किए गए थे। इस प्रकार इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक निर्णय का सिद्धांत पिछले मुकदमे की तरह ही लागू होगा, दावा पूरी संपत्ति के संबंध में था लेकिन कब्जा एक छोटे से क्षेत्र से मांगा गया था। यह निर्णय वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है क्योंकि न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन भूमि पर अधिकार उस भूमि से अलग है जो पहले मुकदमे में विषय वस्तु थी। पहला मुकदमा केवल वादी द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में था न कि पूरी भूमि के संबंध में, हालांकि उनका दावा आवेदकों के पिता द्वारा बिक्री पर आधारित था।

41. अब, दूसरे प्रश्न की जांच की जाती है कि क्या अपीलकर्ताओं ने विचाराधीन भूमि पर अपना अधिकार साबित कर दिया है। याचिकाकर्ताओं

विचाराधीन भूमि पर अधिकार का दावा करें। चूंकि भूमि राज्य से हस्तांतरित की जाती है, इसलिए स्वामित्व के दस्तावेज को पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 और/या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के संदर्भ में पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। आसफनगर लाइनों का क्षेत्रफल 378 एकड़ 16 गुंटा है। दिनांकित 10.10.1956 पत्र के परिशिष्ट में, 378 एकड़ 16 गुंटा के क्षेत्र में शामिल भूमि का विवरण दिया गया है, जिसमें 2 एकड़ 20 गुंटा लघु राइफल रेंज शामिल है। ऐसी भूमि मल्लापल्ली क्षेत्र में परिलक्षित होती है। मल्लापल्ली क्षेत्र और आसफनगर लाइन का कुल क्षेत्रफल 378 एकड़ और 16 गुंटा है। मल्लापल्ली लाइन्स 450 एकड़ और 12 गुंटा वाली गैर-आईएसएफ लाइन्स हैं जो 378 एकड़ और 16 गुंटा वाले आईएसएफ क्षेत्र में आने वाली आसफनगर लाइन्स से अलग हैं। इस प्रकार, मल्लापल्ली क्षेत्र और मल्लापल्ली रेखाएँ भूमि के दो अलग-अलग भाग हैं। यहाँ विचाराधीन भूमि आसफनगर लाइन्स का हिस्सा है जो अपीलार्थियों को आईएसएफ लाइन्स के रूप में सौंपी गई है। दिनांकित 19.3.1958 पत्र हस्तांतरण को पूरा करता है जब 1500 एकड़ और 24 गुंटा की भूमि का कब्जा संघ को सौंप दिया गया था।

42. अपीलकर्ताओं का दावा है कि वर्ष 1958 से 1500 एकड़ और 24 गुंटा की भूमि पर उनका कब्जा है। हालाँकि, अपीलार्थी

4971.5 वर्ग मीटर मापने वाली भूमि के संबंध में दावा खो दिया है। गज जो है 2 एकड़ और 20 गुंटा भूमि के हिस्से के रूप में गिरना, लेकिन इससे [2021] 4 एस. सी. आर. नहीं होगा।

2 एकड़ और 20 गुंटा की पूरी भूमि पर अपीलार्थियों का अधिकार खो देना।

43. इसलिए, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (2) (vii) के साथ पठित सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के प्रावधानों के आधार पर, अपीलार्थी को भूमि का हस्तांतरण पूरा हो जाता है। अपीलार्थी उपरोक्त भूमि का स्वामी है। आवेदकों ने शेख अहमद के पक्ष में पट्टा के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने अपने विक्रेता का अधिकार साबित नहीं किया है ताकि वे विचाराधीन भूमि पर सही अधिकार का दावा कर सकें। इसके अलावा, आवेदकों को कोई पट्टा नहीं दिया जा सका क्योंकि भूमि थी

प्राधिकरण अर्थात संघ के साथ-साथ आधिकारिक निकाय। इसके अलावा, साक्षय अधिनियम की धारा 114 यह अनुमान लगाती है कि शुद्धता एक आधिकारिक कार्य है जिसे नियमित रूप से किया गया है। इसलिए, यह दिखाने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में कि ऐसे रिकॉर्ड ठीक से बनाए नहीं रखे गए थे, स्वामित्व और कब्जे की प्रविष्टियों वाले आधिकारिक रिकॉर्ड में शुद्धता का अनुमान होगा। 10.10.1956 पर भूमि के हस्तांतरण के बाद 19.3.1958 पर कब्जे की डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए और उसके कब्जे का निरंतर दावा, यह इस स्पष्ट निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अपीलार्थी मालिक हैं और वाद भूमि के कब्जे में हैं।

45. तीसरा सवाल यह जांचने के लिए है कि क्या अपीलकर्ता भूमि हड़पने वाले हैं और न्यायाधिकरण के पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है

अधिनियम के तहत। अपीलार्थियों की इस आपत्ति की कि वे भूमि हड़पने वाले नहीं हैं और संघ की संपत्ति पर राज्य विधानमंडल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, इस निष्कर्ष के मद्देनजर जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी वास्तव में विचाराधीन भूमि के मालिक हैं। इस प्रकार, 2013 की सिविल अपील संख्या 2049 की अनुमति दी जाती है और न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदकों द्वारा दायर आवेदन को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। नज़र में

2012 की सिविल अपील संख्या 13 को निष्फल बना दिया गया है और तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

अंकित ज्ञान

अपी

ल का निपटारा,